Awareness-cum Training Programme on Protection of Plant Varieties & Farmers' Right

पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार विषय पर जागरूकता एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम

Organised at

Krishi Vigyan Kendra, CAZRI, Kukma, Bhuj (Gujarat)

February 24, 2015

Central Arid Zone Research Institute

(Indian Council of Agricultural Research)

Jodhpur – 342 003 (INDIA)

Citation: Awareness-cum Training Programme on Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights, KVK, CAZRI, Kukma, Bhuj, Gujarat-370105.

Compiled by: Devi Dayal, A. S. Tetarwal, S. Kumar, Ramniwas, Shamshuddin M., R. Dev, and T. Singh

Sponsored by: PPV & FR Authority, Ministry of Agriculture, GOI, New Delhi

Organised by: Krishi Vigyan Kendra, CAZRI, Kukma, Bhuj, Guajarat.

अनुक्रमणिका

क्रम.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय , भारत सरकार	1-5
2.	कृषक अधिकार- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम , २००१	6-11
3.	सामान्यतया: पूछे जाने वाले प्रशन	12-13
4.	Frequently asked questions	14-19
5.	प्ररूप -१	20-30
6.	उपाबन्ध -१	31-33
7.	प्ररूप -१ क	34-35
8.	तकंनीकी प्रश्नावली	36-43
9.	पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार	44-53
10.	Plant Genetic Diversity of Kutch, Gujarat	54-57

चतुर्थ मुद्रण 2000 प्रतियां नई 2012
विवरणिका नं. पौ.कि.कृ.अ.स.प्रा./5

पौधा किस्म
और
कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

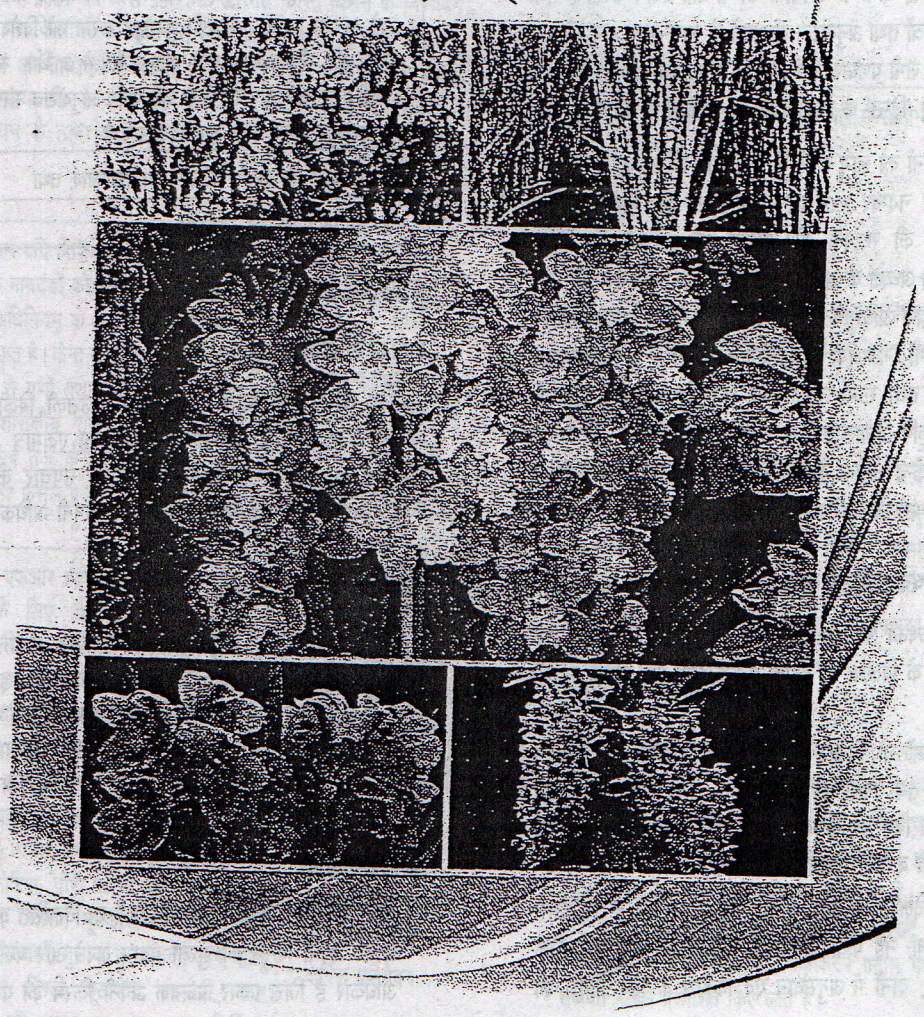

प्रस्तावना

पौधों की किस्मों, कृषकों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना हेतु यह आवश्यक समझा गया कि पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने में किसी भी समय किसानों द्वारा किए गए उनके योगदान को मान्यता प्रदान की जाए तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इस दृष्टि से भारत सरकार ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001' को *स्यू जेनेरिस* प्रणाली अपनाते हुए लागू किया। भारतीय विधान पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय यूनियन (उपोव), 1978 की पुष्टि के अनुसार है, वरन् इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन संस्थाओं तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यह विधान पादप प्रजनक संबंधी क्रियाकलापों में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों तथा किसानों, दोनों के योगदानों को मान्यता प्रदान करता है तथा निजी, सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ-साथ कम संसाधन वाले किसानों सहित सभी पणधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों को सहायता पहुंचाते हुए 'ट्रिप्स' के कार्यान्वयन का प्रावधान भी करता है।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने 11 नवम्बर 2005 को "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण" की स्थापना की। अध्यक्ष इस प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त प्राधिकरण के 15 सदस्य हैं, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इनमें से 8 पदेन सदस्य हैं जो विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 3 सदस्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से, किसानों, आदिवासी संगठनों, बीज उद्योग तथा कृषि क्रियाकलापों से संबंधित महिला संगठन प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। महा पंजीकार प्राधिकरण का पदेन सदस्य-सचिव होता है।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के उद्देश्य

1. पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
2. नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
3. देश में कृषि विकास में तेजी लाना, पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा करना; नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
4. देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

प्राधिकरण के सामान्य कार्य

- नई पौधा किस्मों, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों, विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- नई पादप प्रजातियों के लिए डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व) परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास
- पंजीकृत किस्मों के गुणों का विकास व उनका प्रलेखन
- पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूची पत्रीकरण (कैटालॉगिंग) की सुविधा
- कृषकों की किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण तथा उनका सूची पत्रीकरण
- उन कृषकों, कृषक समुदायों, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण समुदाय को मान्यता प्रदान करना और पुरस्कृत करना जो विशेष रूप से पहचाने गए कृषि जैवविविधता वाले हॉट-स्पॉट में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों से जुड़े पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण के कार्य में संलग्न है।
- पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव; तथा
- राष्ट्रीय जीन बैंक का रखरखाव।

अधिनियम के अंतर्गत अधिकार

प्रजनकों के अधिकार

प्रजनकों को सुरक्षित किस्म उत्पन्न करने, उसकी बिक्री करने, उसका विपणन करने, वितरण, आयात या निर्यात का एकमात्र अधिकार होगा। अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कानूनी उपचार के लिए प्रजनक एजेंट/लाइसेंसी नियुक्त कर सकता है व कानूनी अधिकारों का उपयोग कर सकता है।

अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार

अनुसंधानकर्ता प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकता है। इसमें कोई अन्य किस्म विकसित करने के लिए किसी किस्म को आरंभिक स्रोत के रूप में उपयोग करना भी शामिल है लेकिन यदि सामग्री का बार-बार उपयोग करना पड़े तो इसके लिए पंजीकृत प्रजनक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

कृषकों के अधिकार

- जिस किसान ने कोई नई किस्म खोजी या विकसित की हो उसे उसी प्रकार अपनी किस्म को सुरक्षा प्रदान करने और पंजीकृत करने का अधिकार है जिस प्रकार, प्रजनक अपनी किस्म को पंजीकृत कराकर सुरक्षा प्रदान करता है।

- कृषक किस्म को विद्यमान किस्म के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है।
- कोई भी किसान पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने उत्पाद को उसी प्रकार बचाकर रख सकता है, उपयोग में ला सकता है, बो सकता है, पुनः बो सकता है, उसका विनिमय कर सकता है, साझीदारी कर सकता है या बेच सकता है, जैसा कि वह अधिनियम के लागू होने के पूर्व कर सकता था, लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई किसान पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के ब्रांड युक्त बीज की बिक्री नहीं कर सकता है।
- किसान आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भू प्रजातियों तथा उनके वन्य संबंधियों के पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए मान्यता प्रदान किए जाने तथा पुरस्कृत किए जाने के पात्र हैं।
- अधिनियम, 2001 की धारा 39(2) के अंतर्गत किसी किस्म के निष्पादन न देने पर किसानों को क्षतिपूर्ति किए जाने का भी प्रावधान है।
- किसानों को प्राधिकरण अथवा पंजीकार अथवा न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय में कोई भी मुकदमा दाखिल करने के लिए इस अधिनियम के तहत कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा।

पंजीकरण

कोई भी किस्म यदि विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व (डीयूएस) के मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करती है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की पात्रता प्राप्त है। केन्द्र सरकार किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से गणों तथा प्रजातियों को विशिष्टीकृत करते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करती है। अब तक केन्द्र सरकार ने पंजीकरण के उद्देश्य से 57 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है।

प्राधिकरण के प्रकाशन
- भारतीय पौधा किस्म जरनल
- सामान्य तथा फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश
- तकनीकी बुलेटिन

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने व्यक्तिगत फसल प्रजातियों के लिए प्रजाति विशिष्ट विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व परीक्षण के लिए दिशानिर्देश या विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इनमें शामिल हैं चपाती गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, खेत मटर/बागान मटर, सेम/राजमा, मसूर, द्विगुणित कपास (2 प्रजातियां), चतुर्गुणित कपास (दो प्रजातियां), पटसन (2 प्रजातियां), गन्ना, अदरक, हल्दी, भारतीय सरसों, करन राई, तोरिया, गोभी सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, अरण्ड, तिल, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, काली मिर्च, छोटी इलायची, गुलाब, गुलदाउदी, आम, आलू, बैंगन, टमाटर, भिण्डी, फूलगोभी, बंदगोभी, प्याज, लहसुन, गेहूं की डयूरम, डाइकोकम तथा ट्रिटिकम प्रजातियां, ईसबगोल, मेंथॉल पुदीना, दमस्क गुलाब, बारहमासी तथा ब्रह्मी।

- जीन बैंक मैनुअल
- कृषि–जैवविविधता हॉट स्पॉट्स पुस्तक (दो खण्डों में)
- पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए 'आजीविका के लिए बीज' शीर्षक की वीडियो सीडी
- वार्षिक प्रतिवेदन

पंजीकरण के लिए शुल्क

पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की किस्मों के लिए पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार है :

क्र. सं.		
1.	बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म	1000/–रु.
2.	नई किस्म/अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ईंडीवी)	व्यक्तिगत 5000/–रु. शैक्षणिक 7000/–रु. वाणिज्यिक 10,000/–रु.
3.	वह विद्यमान किस्म जिसके बारे में सामान्य ज्ञान है (वीसीके)	व्यक्तिगत 2000/–रु. शैक्षणिक 3000/–रु. वाणिज्यिक 5,000/–रु.

किसी किस्म का पंजीकरण नवीकृत कराया जा सकता है, बशर्ते कि वार्षिक शुल्क एवं नवीनकरण शुल्क जमा किया गया हो।

डीयूएस परीक्षण केन्द्र

संदर्भ संकलन उदाहरण किस्मों के अनुरक्षण तथा प्रगुणन और संबंधित फसलों के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डीयूएस विवरणों हेतु डेटाबेस के सृजन के लिए प्राधिकरण ने विभिन्न फसलों के लिए 95 डीयूएस परीक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इन डीयूएस परीक्षण केन्द्रों की सूची प्राधिकरण की आधिकारित वैबसाइट पर उपलब्ध है।

भारतीय पौधा किस्म जरनल

प्राधिकरण भारतीय पौधा किस्म जरनल या प्लांट वेराइटीज़ जरनल ऑफ इंडिया (पीवीजेआई) शीर्षक से द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी में) मासिक प्रकाशन निकालता है तथा प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर अपनी अधिकारिक वैबसाइट पर जन–सामान्य को सुलभ कराता है। इस जरनल को विनियमन, 2006 के अंतर्गत राजपत्र के समतुल्य दर्जा प्राप्त है। इस जरनल में अधिकारिक तथा सार्वजनिक सूचनाएं, पौधा किस्मों के पासपोर्ट आंकडे, फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश, पंजीकरण प्रमाण पत्रों के विवरण तथा अन्य संबंधित मामले प्रकाशित किए जाते हैं।

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जिन आवेदनों ने सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं तथा जिन्हें पंजीकार ने

पंजीकरण हेतु अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अभी तक ऐसे 361 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 22 नई किस्मों के, 334 बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्मों के तथा 5 कृषक किस्मों के हैं। जारी किए गए ये प्रमाण पत्र वृक्षों तथा लताओं के मामले में 9 वर्ष के लिए तथा अन्य फसलों के मामले में 6 वर्ष के लिए वैध होंगे। नवीनीकरण शुल्क अदा करने पर इन्हें शेष अवधि के लिए भी पुनर्संमीक्षित या पुनर्नवीनीकृत किया जा सकता है लेकिन किसी भी हालत में वृक्षों और लताओं के मामले में वैधता की अवधि पंजीकरण की तिथि से 18 वर्ष, बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित किस्म की वैधता अधिसूचीकरण की तिथि से 15 वर्ष तथा अन्य मामलों में किस्म के पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्राधिकरण ने कृषक किस्मों सहित किस्मों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकरण हेतु अप्रैल, 2012 तक 3711 आवेदन प्राप्त किए हैं।

पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

रजिस्ट्री के मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा गया है जिसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नाम, उन्हें प्रजनित करने वाले संबंधित प्रजनकों के पते, पंजीकृत किस्मों के संदर्भ में ऐसे प्रजनकों के अधिकारों, प्रत्येक पंजीकृत किस्म के नाम व विवरण, विशिष्ट गुणों की विशेषताओं के साथ बीज अथवा अन्य रोपण सामग्री का विवरण और अन्य सभी संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं।

राष्ट्रीय जीन बैंक

प्राधिकरण ने पंजीकृत किस्मों के प्रजनकों द्वारा प्रस्तुत पैतृक वंशक्रमों सहित बीज सामग्री को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। इस बैंक में पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए 5° से. के निम्न तापमान की स्थिति के अंतर्गत बीजों को भंडारित किया जाता है और यदि राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारित करने के कुछ वर्षों बाद आवश्यक हो तो इस बीज को पुनरोद्धारित या पुनर्संबलीकृत किया जाता है जिसकी लागत आवेदक को वहन करनी होती है। राष्ट्रीय जीन बैंक में भंडारित बीज का उपयोग अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों को लागू करने हेतु जब कभी भी आवश्यकता पड़े या विवाद उठे, तब किया जाता है। राष्ट्रीय जीन बैंक में इस प्रकार बीज के जमा होने से बाजार में धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा अथवा अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि बैंक के पास जमा बीज को तथ्यों के सत्यापन के लिए बाहर निकाला जा सकता है। जब स्वीकृत किए गए पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाती है तो सामग्री स्वतः ही जन–सामान्य की हो जाती है।

राष्ट्रीय जीन निधि

निम्न से योगदानों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण ने एक राष्ट्रीय जीन निधि स्थापित की है :

- किसी किस्म के प्रजनक से अथवा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म अथवा ऐसी किस्म की रोपण सामग्री या अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म, जैसा भी मामला हो, से निर्धारित विधि से प्राप्त होने वाले लाभ में भागीदारी।
- रॉयलटी के माध्यम से प्राधिकरण को देय वार्षिक शुल्क।
- प्रजनकों द्वारा जमा की गई क्षतिपूर्ति की राशि और किसी राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन और अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान।

जीन निधि का उपयोग निम्न के लिए किया जाएगा :

- लाभ में भागीदारी के द्वारा अदा की गई कोई भी राशि,
- कृषक/कृषकों के समुदाय को देय क्षतिपूर्ति
- स्वःस्थाने व बहिःस्थाने संकलनों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग को सहायता देने पर होने वाला व्यय तथा ऐसे संरक्षण व टिकाऊ उपयोग को सम्पादित करने के लिए पंचायतों की क्षमता का सबलीकरण।
- लाभ में भागीदारी से संबंधित योजनाओं पर होने वाला व्यय।

लाभ में भागीदारी

- लाभ में भागीदारी कृषकों के अधिकारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। धारा 26 में प्रावधान है कि भारत के नागरिकों या फर्मों अथवा गैर–सरकारी संगठनों अथवा भारत में स्थापित संगठनों द्वारा लाभ में भागीदारी के दावे प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी किस्म के विकास में दावेदार के आनुवंशिक संसाधन के उपयोग की सीमा और प्रगति के साथ–साथ उस किस्म की बाजार में मांग तथा उसके वाणिज्यिक उपयोग के अनुसार प्रजनक को जीन निधि में निर्धारित राशि जमा करानी होगी। जमा की गई यह राशि राष्ट्रीय जीन निधि से दावेदार को अदा की जाएगी। प्राधिकरण भारतीय पौधा किस्म जरनल में लाभ में भागीदारी के दावों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र के अंश भी प्रकाशित करता है।

समुदाय के अधिकार

- यह ग्राम अथवा स्थानीय समुदायों को उस किस्म के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति है जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जा चुकी है।
- कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/सरकारी या गैर–सरकारी संगठन, भारत में किसी गांव/स्थानीय समुदाय की ओर से किसी भी अनुसूचित केन्द्र में किसी भी किस्म के विकास में किए गए योगदान का दावा दाखिल कर सकता है।

सम्मेलन देश

- सम्मेलन देश से तात्पर्य किसी भी उस देश से है जिसने पौधा किस्मों की सुरक्षा के किसी उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी की हो जिसमें भारत ने भी भागीदारी की हो अथवा वह देश जिसमें पौधा किस्मों की सुरक्षा का ऐसा कानून हो जिसके आधार पर भारत पादप प्रजनकों के अधिकारों को स्वीकृत प्रदान करने के लिए समझौता कर चुका हो और दोनों देशों के नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए गए हों। कोई भी व्यक्ति जो सम्मेलन देश मे किए गए आवेदन की तिथि के 12 महीने के अंदर भारत में किसी किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देता है तो उसकी किस्म को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकरण की तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को सम्मेलन देश ने आवेदन प्रस्तुत किया था। इस तिथि को इस अधिनियम के उद्देश्य से पंजीकरण की तिथि माना जाएगा।

पौधा किस्म सुरक्षा अपीलीय न्यायाधीकरण (पीवीपीएटी)

अधिनियम में पौधा किस्म सुरक्षा अपीलीय न्यायाधीकरण को स्थापित करने का प्रावधान है। किसी किस्म के पंजीकरण से संबधित प्राधिकरण के रजिस्ट्रार के सभी आदेशों व निर्णयों और एजेंट या लाइसेंसी के रूप में पंजीकरण से संबंधित रजिस्ट्रार के सभी आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध न्यायाधीकरण में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त लाभ में भागीदारी, अनिवार्य लाइसेंस को हटाने तथा क्षतिपूर्ति की अदायगी से संबंधित प्राधिकरण के सभी आदेशों अथवा निर्णयों के विरुद्ध न्यायाधीकरण में अपील की जा सकती है। एक अस्थायी प्रावधान भी है जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि पौधा किस्म सुरक्षा अपीलीय न्यायाधीकरण द्वारा स्थापित बौद्धिक सम्पदा अपीलीय मंडल (आईपीएबी), पीवीपीएटी के न्याय क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारों का उपयोग करेगा। पीवीपीएटी के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायाधीकरण किसी अपील का निपटारा एक वर्ष के अंदर करेगा।

सम्पर्क के लिए पता :

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकारण

एस–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,

नई दिल्ली–110012

दूरभाष : 011–25843315, 25840777, 25843808

फैक्स: 011–25840478

वैबसाइट : **www.plantauthority.gov.in,**

E-mail:ppvfra-agri@nic.in

चतुर्थ मुद्रण : 2000 प्रतियां मई 2012
विवरणिका न. कृ. अ./3

कृषक अधिकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

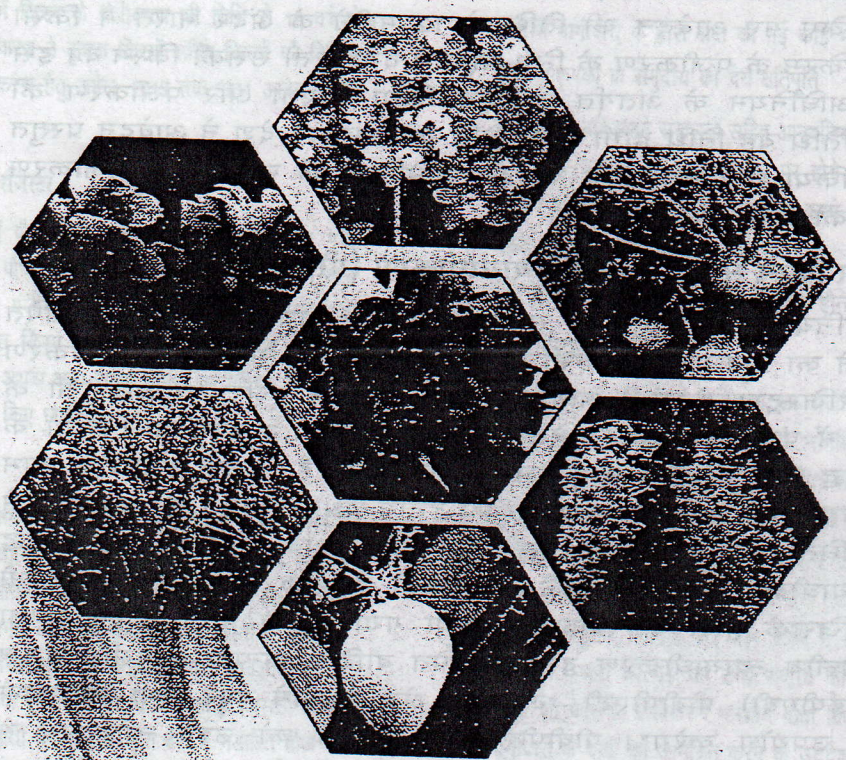

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार
एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, निकट टोडापुर गांव,
नई दिल्ली–110012

कृषक अधिकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है एवं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। कृषकों को, उनके कृषि कार्य, अनुभवों एवं योगदान के आधार पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है जिसका अधिनियम की अनेक धाराओं में उल्लेख है।

'कृषक' (अधिनियम की धारा 2(के)) कोई भी वह व्यक्ति हो सकता है जो –

(i) स्वयं खेत जोतकर फसलें उगाता है; या

(ii) प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निगरानी रखते हुए अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेत में फसलें उगाता है; या

(iii) अनेक के साथ अथवा संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म का संरक्षण और परिरक्षण करता है अथवा ऐसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म के उपयोगी गुणों का चयन और उनकी पहचान करके वन्य प्रजातियों का मूल्य प्रवर्धन करता है।

'कृषक किस्म' {अधिनियम की धारा 2(एल)} कोई भी वह किस्म है जो–

(i) कृषकों द्वारा अपने खेत में परंपरागत रूप से उगाई व विकसित की गई हो; या

(ii) ऐसी वन्य संबंधी या भू–प्रजाति या किस्म जिसके बारे में कृषकों को सामान्य ज्ञान हो।

कृषकों के अधिकार (अधिनियम की धारा 39)

(iii) इस अधिनियम के अंतर्गत वह कृषक जिसने नई किस्म का प्रजनन अथवा विकास किया गया है, को पंजीकरण एवं अन्य सुरक्षा का वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे कि एक किस्म के प्रजनक को अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है।

(iv) कृषक किस्म, पंजीकरण के योग्य है यदि आवेदन पत्र धारा 18 उपधारा 1 (एच) के अनुसार घोषणा की गई हो तथा उक्त ६ ारा में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो।

(v) कृषक, जो भू–प्रजाति एवं आर्थिक वन्य–सम्बन्धी महत्व के पौधों के आनुवंशिक संसाधन के संरक्षण, चयन, परिरक्षण एवं सुधार कार्य में लगे है, नियमानुसार निर्धारित तरीके से जीन निधि से पुरस्कार एवं मान्यता के हकदार है बशर्ते कि चयनित एवं संरक्षित सामग्री का उपयोग इस अधिनियम के अंतगर्त पंजीकरण योग्य किस्मों में दाता जीन के रूप में प्रयोग किया गया हो।

(vi) कृषक को इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के बीज के साथ–साथ प्रक्षेत्र की उपज व किस्म का बीज बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, आदान –प्रदान (विनिमय) करने, भागीदारी (हिस्सेदारी) अथवा विक्रय करने का अधिकार है जैसा कि उसे अधिनियम लागू होने से पहले था तथा कृषक को अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म के ब्राण्डेड बीज के विपणन/बिक्री करने की अनुमति नहीं है।

व्याख्या– उपधारा (iv) के उद्देश्य, से ब्रांडयुक्त बीज का अर्थ उस बीज से है जो किसी पैकेट अथवा किसी अन्य पात्र में रखा और लेबेल लगाया गया हो जिससे स्पष्ट होता है कि किस्म का बीज, इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किया है। केवल रोक यह है कि कृषक को इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित किस्म को ब्रांडयुक्त करके बेचने का अधिकार नहीं है। अतएव कृषक एवं प्रजनक दोनों के अधिकार सुरक्षित है।

क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान {अधिनियम की धारा 39 (2)}

जिन मामलों में इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म की रोपण सामग्री किसी कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन को बिक्री की गयी है वहाँ प्रजनक, कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन, जैसी भी स्थिति हो, निश्चित दशा में उस किस्म के सम्भावित निष्पादन से सम्बधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि सम्बंधित रोपण सामग्री, निश्चित दशा में सम्भावित निष्पादन देने में सफल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों का संगठन, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकरण में निर्धारित तरीके से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। प्राधिकरण किस्म के प्रजनक को सूचना (नोटिस) देकर और निर्धारित तरीके से प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, दोनो पक्षो की सुनवाई कर किस्म के प्रजनक को निर्देश दे सकता है कि कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन, जैसी भी स्थिति हो, को क्षतिपूर्ति करें, और तदनुसार राशि का भुगतान करें।

अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा–(नियम 66)

(1) कोई कृषक, कृषकों का समूह अथवा कृषकों का संगठन अधिनियम की धारा 39(2) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावा हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) दावा हेतु आवेदन उपरोक्त उप नियम (1) के अंतर्गत प्रथम अनुसूची की पी वी–25 प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए।

नियम 66 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु दावा के आवेदन की प्रक्रिया (नियम 67)

(1) पंजीकृत किस्म जिसके सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति दावा प्राप्त हुआ है, प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत प्रजनक को नोटिस भेजा जाना।

(2) उपरोक्त उप नियम (1) के अंतर्गत प्रजनक को प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर प्रथम अनुसूची के प्रारूप पी वी– 26 में प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

(3) प्रजनक, यदि क्षतिपूर्ति हेतु नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रतिवाद प्रस्तुत करने में असफल होता है अथवा अवेहलना करता है ऐसी दशा में यह मान लिया जाएगा कि प्रजनक उक्त दावा में प्रतिवाद नहीं प्रस्तुत करना चाहता है और वह दावा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार निर्धारित कर दिया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, प्रजनक से प्रतिवाद प्राप्त होने पर दोनों पार्टियों को सुनवाई का अवसर देकर और उचित पाए जाने पर प्रजनक को कृषक, कृषकों के समूह अथवा कृषकों के संगठन, जैसी भी स्थिति हो, क्षतिपूर्ति हेतु निर्देशित कर सकता है।

आवेदन के पंजीकरण हेतु कुछ सूचना देने के आशय से अधिनियम की धारा 40)

(1) अधिनियम के अध्याय III के अंतर्गत किसी किस्म के पंजीकरण हेतु प्रजनक अथवा अन्य व्यक्ति को आवेदन में किस्म के प्रजनन अथवा विकास में जनजातीय अथवा गाँव परिवारों द्वारा संरक्षित आनुवंशिक सामग्री का प्रयोग करने की दशा में सूचना को आवेदन में प्रकट करना होगा।

(2) यदि प्रजनक अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित सूचना बताने में असफल होता है तो रजिस्ट्रार, संतुष्ट होने पर कि प्रजनक अथवा अन्य व्यक्ति दुर्भावना से और जानबूझ कर ऐसी सूचना छुपा रहा है, पंजीकरण हेतु आवेदन निरस्त कर सकता है।

समुदायों के अधिकार (अधिनियम की धारा 41)

(1) कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह (जो सीधे कृषि कार्य में संलग्न है अथवा नही) अथवा कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन भारत में किसी भी गाँव अथवा स्थानीय समुदाय के लोगों की ओर से जैसी भी स्थिति हो, किसी किस्म के विकास में किए गए अंशदान हेतु प्राधिकरण द्वारा अधिकारिक गजट में केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत किसी अधिसूचित केन्द्र में उन गाँव अथवा स्थानीय समुदाय के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जहाँ कोई दावा उपधारा (1) के अंतर्गत किया गया, उपधारा के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्र, उन व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा उन सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस प्रकार दावा किया गया और उचित पाया गया और उन गाँव अथवा स्थानीय समुदाय द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के विकास के लिए सार्थक अंशदान संतोषजनक है, दावा को सत्यापित कर सकता है एवं प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

(3) जब प्राधिकरण, उपधारा (2) की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर, जाँच करने के उपरान्त उचित पाए जाने की स्थिति में, वह किस्म जिसके बारे में रिपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, निर्धारित तरीके से किस्म के प्रजनक को नोटिस जारी कर और निर्धारित तरीके से आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर और सुनवाई कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी सीमा में, आदेश द्वारा, क्षतिपूर्ति राशि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन जिन्होनें उपधारा (1) के अंतर्गत दावा किया है, उचित पाए जाने की स्थिति में भुगतान किया जाएगा।

(4) किस्म के प्रजनक द्वारा उपधारा (3) में स्वीकृत क्षतिपूर्ति जीन निधि में जमा किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) में स्वीकृत क्षतिपूर्ति को भूमि राजस्व (मालगुजारी) माना जाएगा और प्राधिकरण, तदनुसार वसूली हेतु कार्यवाही करेगा।

अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत नोटिस जारी करना (नियम 68)

(1) धारा 41 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्र से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन, किसी गाँव अथवा स्थानीय

समुदाय के लोगों की ओर से नई प्रजाति के विकास मे किए गए अंशदान की प्रतिपूर्ति हेतु दावा दाखिल की स्थिति में, प्राधिकरण यदि संतुष्ट है, पंजीकृत प्रजनक को अथवा उसके समनुदेशक अथवा पंजीकृत अभिकर्ता को तृतीय अनुसूची के प्रारूप ओ–12 में नोटिस जारी कर सकता है।

(2) प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर, पजीकृत प्रजनक अथवा उसका समनुदेशक अथवा पंजीकृत अभिकर्ता प्रथम अनुसूची में वर्णित प्रारूप पी वी–27 में दावों की प्रतिपूर्ति हेतु तीन माह में प्रतिवाद दाखिल कर सकता है।

(3) प्राधिकरण, पंजीकृत प्रजनक अथवा उसके समनुदेशक अथवा पंजीकृत अभिकर्ता से प्रतिवाद प्राप्त होने पर, दोनों पार्टियों को सुनवाई का अवसर देकर और प्रतिपूर्ति के परिमाण की पात्रता को निर्धारित करने के पश्चात् प्रजनक को, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन जो अधिनियम की धारा(41) की उपधारा(1) के अंतर्गत दावा किया है, प्रतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए निर्देशित करेगा और अपेक्षित धनराशि दो माह के अंदर जीन निधि में जमा करेगा।

अनजाने में हुए किसी उल्लंघन के प्रति सुरक्षा (अधिनियम की धारा 42)

(i) अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी अधिकार का अनजाने में हुए किसी उल्लंघन का कृषक द्वारा उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जिसे उल्लंघन के समय ऐसे किसी प्रकार के अधिकार की जानकारी नहीं थी।

(ii) अधिनियम की धारा 65 में उल्लिखित किसी भी उल्लंघन के लिए न्यायालय किसी भी वाद में छूट प्रदान कर सकता है जो पहले न्यायालय द्वारा न दी गयी हो तथा न ही किसी ऐसे संज्ञान को इस अधिनियम द्वारा अपराध माना जाएगा जिसके बारे में कृषक द्वारा न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाय कि सम्बंधित उल्लंघन के समय उसे

पंजीकृत धान की कृषक किस्म–तिलकचंदन

यह जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार का अधिकार पहले से ही मौजूद है।

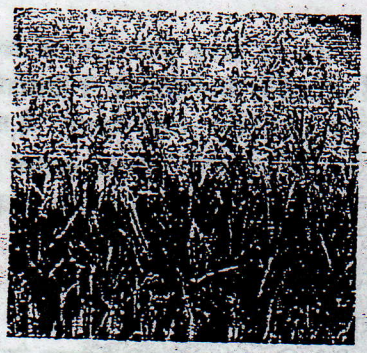

पंजीकृत धान की कृषक किस्म–इन्द्रासन

अधिनियम की धारा 23 (6) एवं 28 में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं है, के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कोई भी अनिवार्य रुप से व्युत्पन्न किस्म, कृषक किस्म से विकसित की गयी हो, धारा 28 (2) के अंतर्गत प्रजनक अधिकृत नहीं कर सकता जबतक कि कृषक अथवा कृषकों के समूह अथवा कृषक समुदाय से सहमति न प्राप्त कर ली गयी हो जिन्होने ऐसी किस्मों के संरक्षण अथवा विकास में कोई न कोई योगदान दिया हो।

शुल्क से छूट–इस अधिनियम की धारा 44 इसके बनाए नियम के अंतर्गत कोई भी कृषक अथवा कृषक समूह अथवा ग्राम समुदाय, प्राधिकरण अथवा रजिस्ट्रार अथवा न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायलय के समक्ष किसी भी कार्यवृत हेतु शुल्क अदा करने हेतु बाध्य नहीं है। अर्थात् शुल्क से छूट प्राप्त है।

व्याख्या–"कार्यवृत हेतु शुल्क" इस अधिनियम की इस धारा मे प्रावधान है कि कृषक पत्राजात अथवा दस्तावेज का निरीक्षण करना चाहता है अथवा निर्णय अथवा आज्ञा की प्रति प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

जीननिधि (अधिनियम की धारा 45)

(1) केन्द्रीय सरकार एक निधि का गठन करेगी जो राष्ट्रीय जीन निधि कहलाएगी और इसमें धनागम निम्न स्रोतों से होगा –

(ए) किस्म के प्रजनक अथवा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म जो इस अधिनियम मे पंजीकृत है अथवा उक्त किस्म की रोपण सामग्री अथवा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म, जैसी भी स्थिति हो, से निर्धारित तरीके से प्राप्त लाभ की भागीदारी।

(बी) अधिनियम की धारा 35(1)के अंतर्गत वार्षिक शुल्क की रायल्टी के रूप में।

(सी) अधिनियम की धारा 41(4) के अंतर्गत जीननिधि में जमा करायी गयी क्षतिपूर्ति।

(डी) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य स्रोत से प्राप्त अंशदान।

(2) जीननिधि, निर्धारित तरीके से निम्न कार्यो के लिए उपयोग की जाएगी–

(ए) अधिनियम की धारा 26(5) के अनुसार लाभ में भागीदारी के भुगतान हेतु।

(बी) अधिनियम की धारा 41 (3) के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।

(सी) स्व स्थानों और बर्हिस्थानों मे किए गए संग्रह सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में सहायता देने हेतु खर्च तथा ऐसे संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को सम्पन्न करने वाली पंचायत क्षमता को सबल बनाने हेतु।

(डी) अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत निर्धारित किए गए लाभ में भागीदारी से संबधित योजनाओं पर खर्च।

धारा 45 के अंतर्गत लाभ में भागीदारी प्राप्त करने का तरीका (नियम 69)

किस्म अथवा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म का प्रजनक लाभ में भागीदारी की धनराशि जीन निधि में अधिनियम की धारा 26 के उपधारा (6) के अनुसार जमा करेगा

धारा 45 के अंतर्गत जीन निधि के उपयोग का तरीका (नियम 70)

(1) प्राधिकरण, नयी और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के क्रमिक विकास में प्रयुक्त आनुवंशिक सामग्री के लिए आवश्यक प्रतिपूर्ति, लाभ में भागीदारी के लिए सम्बन्धित योजना बनाने और आनुवंशिक सामग्री के टिकाऊ प्रयोग और संरक्षण में व्यय को वहन करना।

(2) जीन निधि निम्न उद्देश्यों हेतु प्राथमिकता के अनुसार प्रयुक्त होगी।

(ए) कृषकों, कृषकों के समूह, विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण समुदाय से, विशेष रूप से पहिचाने गये कृषि–जैव–विविधता के क्षेत्र (हॉट–स्पॉट) जो, आर्थिक महत्व के पौधों और उनके वन्य सम्बन्धियों के संरक्षण, सुधार और परिरक्षण में संलग्न है को मदद और पुरस्कार प्रदान करना;

(बी) स्थानीय निकाय स्तर पर बर्हि–स्थाने संरक्षण हेतु क्षमता विकास विशेष रूप से पहचाने गए कृषि जैव विविधता के क्षेत्र (हॉट–स्पॉट) और स्व–स्थान संरक्षण में मदद हेतु;

(सी) धारा 26 की उपधारा (5) और धारा 41 की उपधारा (3) के अनुसार लाभ में भागीदारी और प्रतिपूर्ति हेतु;

(डी) जीन निधि के संचालन हेतु परिचालन व्यय।

योजनाओं को बनाना (अधिनियम की धारा 46)

(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 41 और धारा 45(2) (डी), अधिकारिक गज़ट में अधिसूचित कर एक अथवा अधिक योजना बना सकती है।

(2) उपधारा (1) में वर्णित प्रावधानों हेतु योजना समस्त अथवा निम्न मामलों में से किसी हेतु प्रबन्ध कर सकती है।

(ए) योजनान्तर्गत दावों के पंजीकरण के उद्देश्य से और उस पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त मामले।

(बी) दावों से सम्बिधित मामलों का परिचालन एव कार्यवाही करना।

(सी) ऐसे दावों से सम्बन्धित रजिस्टर व रिकार्ड का रखरखाव।

(डी) उपयोग, वितरण का तरीका (हिस्सेदारी सहित) अथवा अन्यथा संतुष्ट किसी दावे से प्राप्त कोई धनराशि।

(ई) विवाद की स्थिति में ऐसे दावों के निपटारे अथवा हिस्सेदारी हेतु प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया तरीका।

(एफ) प्रजनन, किस्मों के विकास अथवा खोज से सम्बन्धित उद्देश्यों में लाभ की भागीदारी का उपयोग।

(जी) उपधारा (डी) में उल्लिखित धनराशि के खातों का अंकेक्षण और रखरखाव।

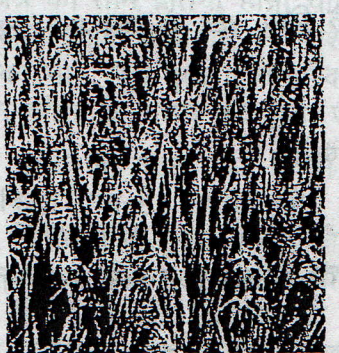

पंजीकृत धान की कृषक किस्म–हंसराज

पादप जीनोंम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2009–10

सम्पर्क के लिए पता :

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकारण

एस–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली–110012

दूरभाष : 011–25843315, 25840777, 25843808

फैक्स: 011–25840478

वैबसाइट : www.plantauthority.gov.in,

E-mail:ppvfra-agri@nic.in

सामान्यतया: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 पौधा किस्म संरक्षण एक आवश्यक मुद्दा क्यों हैं

उत्तर: समग्र आर्थिक विकास और ग्रामीण आय में सुधार के लिये नई किस्मों की प्रजनन गतिविधियॉ व दोहन एक निर्णायक कारक है क्योंकि पादप प्रजनन एक अधिक समय लेने वाली व खर्चीली प्रकिया हैं। इसलिये समाज के लाभ के लिये नई किस्मों के विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिये पौधा किस्म संरक्षण एक प्रभावी, लाभदायक व महत्वपूर्ण प्रणाली है।

प्रश्न 2 भारत में पौधा किस्म पंजीकरण किस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है

उत्तर: भरत में पौधा किस्म पंजीकरण पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण एक्ट 2001 के अन्तर्गत किया जाता है।

प्रश्न 3 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण एक्ट 2..1 के तरत कृषक की परिभाषा क्या है

उत्तर: कृषक का मतलब है वह व्यक्ति जो कि फसल की खेती स्वयं व अपनी निगरानी में करता है। जंगली व परम्परागत किस्मों की पहचान और उनका चयन गुणकारी व लाभदायक गुणों को देख कर करता है ताकि उनका संरक्षण व बचाव सामूहिक तौर पर किया जा सके।

प्रश्न 4 कृषक किस्में किसे कहते हैं

उत्तर: वह कृषक किस्में जिनको कृषक परम्परागत विधियों द्वारा अपने ही खेतों में विकसित करते है।। जिसका विकास किसान के द्वारा जंगली प्रजाति से किया जाता है। कृषक किस्म को पंजीकरण में छूट प्राप्त होती है। कृषक को किस्म का आवेदन करने के लिये किसी तरह की फीस व शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 5 कृषक के अधिकार कौन–कौन से हैं

उत्तर: जिस कृषक ने नई किस्म का प्रजनन किया हो वह उस किस्म का पंजीकरण पादन प्रजनन की भांति कर सकता है।

वह कृषक जो जंगली प्रजातियों से संम्बन्धित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों में अनुवाशिंक संसाधन का सुधार, चुनाव व संरक्षण कर रहा है और जीन बैंक में इन्हें जमा कर रहा है उस किस्म का पंजीकरण इस एक्ट के तहत करवा सकता है।

प्रश्न 6 एक किस्म की दूसरी किस्म से भिन्न करने के लिये क्या आवश्यक है

उत्तर: एक किस्म को दूसरी किस्म से भिन्न करने के लिये कम से कम एक लक्षण अलग होना आवश्यक है।

प्रश्न 7 DUS परीक्षण का क्या अर्थ है

उत्तर D का अर्थ है Distinctiveness अर्थात विशिष्ठता
U का अर्थ है Uniformity अर्थात एकरूपता
S का अर्थ है Stability अर्थात स्थिरता
एक नई प्रजाति को इन मापदडों पर आंका जाता है व सफल होने पर पंजीकरण के योग्य माना जाता है।

प्रश्न 8 पौधा किस्म के संरक्षण में किस तरह के आवेदन पत्र की आवश्यकता पड़ती है ?

उत्तर पौधा किस्म के संरक्षण में निम्नलिखित आवेदन पत्रों की आवश्यकता होती है:

फार्म–1 , तकनीकी प्रश्नावली, फार्म 1 क जो कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट (http://Plant authority.gov.in) से हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाउनलोड किये जा सकते हैं

प्रश्न 9 पौधा किस्म संरक्षण के लिये कौन आवेदन कर सकता है

उत्तर पौधा किस्म संरक्षण के लिये निम्न आवेदन कर सकते है:

- वह व्यक्ति जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता है।
- किस्म के प्रजनक का उत्तराधिकारी
- प्रजनक के अभिहस्तांकिती
- कृषक, कृषक समूह व कृषक समुदाय जो किस्म का प्रजनक होने का दावा करता है
- कृषक की ओर से कोई अधिकृत
- विश्वविद्यालय या सार्वजनिक वित पोशित कृशि संस्थान जो किस्म प्रजनक होने का दावा करता है।

प्रश्न 10 प्रजाति का नामांकरण (Denomination) किसे कहते है

उत्तर: प्रजाति जिस नाम से पंजीकरण के लिये आवेदित की जाती है उसे प्रजाति का नामांकरण कहते हैं

प्रश्न 11 प्रजाति का नयापन किसे कहते है

उत्तर: नई प्रजाति जिसमें एक लक्षण अन्य प्रजातियों से नया हो उसे प्रजाति का नयापन कहते हैं।

प्रश्न 12 क्या पौधा किस्म का संरक्षण पेटेंट कानून के अंतर्गत किया जा सकता है

उत्तर: नहीं।

प्रश्न 13 क्या बाजार में उपलब्ध किस्म का पंजीकरण किया जा सकता है

उत्तर: हॉ, कोई भी किस्म जोकि एक साल से कम समय से बाजार में उपलब्ध हो उसको नई श्रेणी में पंजीकृत किया जा सकता है और उससे पहले की उपस्थित किस्म का मौजूदा श्रेणी में पंजीकरण किया जा सकता है।

प्रश्न 14 प्रजाति पंजीकरण हेतु आवेदन देने के मुख्य दिशा निर्देश कौन–कौन से है

उत्तर: 1. आवेदन पत्र की तीन प्रतियॉ होनी चाहिए।
2. आवेदक और उसके प्रतिनिधि के निश्चित स्थान पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. आवेदक का नाम, पूरा पता व नागरिकता स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

प्रश्न 15 राष्ट्रीय जीन कोश का गठन कब हुआ एवं इसके उद्धेश्य क्या है

उत्तर 45 राष्ट्रीय जीन कोश का गठन पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण एक्ट 2001 के खण्ड के अन्तर्गत किया गया है। राष्ट्रीय जीन कोश के उद्धेश्य निम्नलिखित है:

1. कृषि जैव विविधता के मुख्य केन्द्रो की पहचान
2. किसानों अथवा कृषक समुदायों की पहचान करना जोकि कृषि जैव विविधता संरक्षण कार्यो से जुड़े हैं और सम्बन्धित किसानों को पारितोशिक देना।

प्रश्न 16. पौधा किस्म पंजीकरण का कार्यालय कहॉ स्थित है

उत्तर पौधा किस्म पंजीकरण का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है जिसका पता निम्नलिखित है:
पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग, एन.ए.एस.सी. काम्पलैक्स, डी.पी.एस. मार्ग, निकट टोड़ापुर गॉव, नई दिल्ली– 110 012.

Frequently Asked Questions (FAQs)

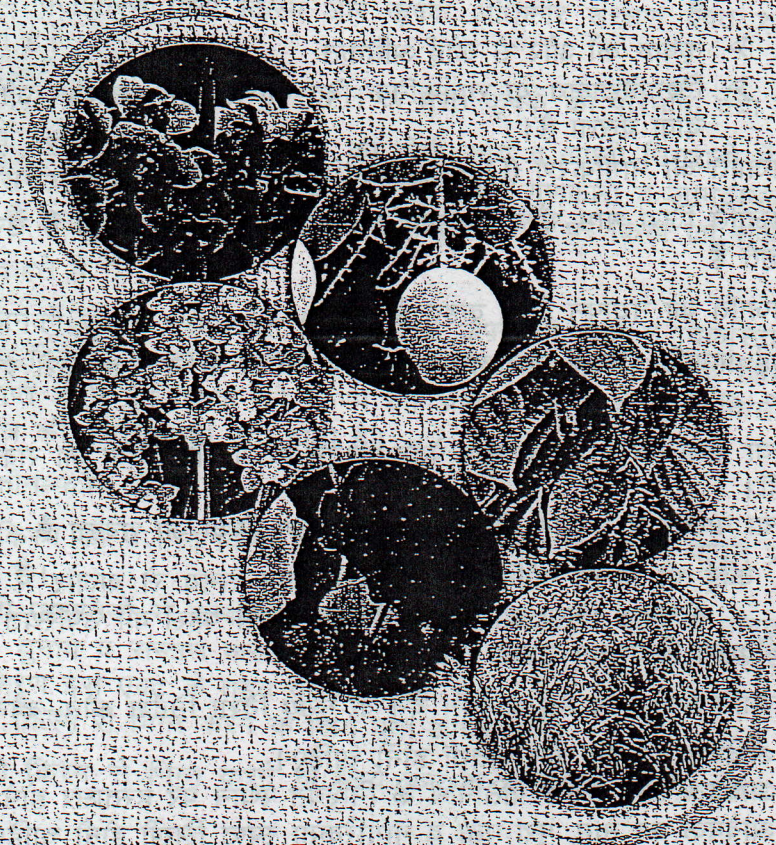

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
Ministry of Agriculture, Government of India
S-2, A Block, NASC Complex, Dev Prakash Shastri Marg,
New Delhi-110 012

Introduction

In order to provide for the establishment of an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders and to encourage the development of new varieties of plants it has been considered necessary to recognize and to protect the rights of the farmers in respect of their contributions made at any time in conserving, improving and making available plant genetic resources for the development of new plant varieties. The Govt. of India enacted "The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (PPV&FR) Act, 2001" adopting ***sui generis*** system. Indian legislation is not only in conformity with International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), 1978, but also have sufficient provisions to protect the interests of public/private sector breeding institutions and the farmers. The legislation recognizes the contributions of both commercial plant breeders and farmers in plant breeding activity and also provides to implement TRIPs in a way that supports the specific socio-economic interests of all the stakeholders including private, public sectors and research institutions, as well as resource-constrained farmers.

To implement the provisions of the Act the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture established the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority on 11th November, 2005. The Chairperson is the Chief Executive of the Authority. Besides the Chairperson, the Authority has 15 members, as notified by the Government of India (GOI). Eight of them are *ex-officio* members representing various Departments/ Ministries, three from SAUs and the State Governments, one representative each for farmers, tribal organization, seed industry and women organization associated with agricultural activities are nominated by the Central Government. The Registrar General is the ex-officio Member Secretary of the Authority.

Objectives of the PPV & FR Act, 2001

1. To establish an effective system for the protection of plant varieties, the rights of farmers and plant breeders and to encourage the development of new varieties of plants.
2. To recognize and protect the rights of farmers in respect of their contributions made at any time in conserving, improving and making available plant genetic resources for the development of new plant varieties.
3. To accelerate agricultural development in the country, protect plant breeders' rights; stimulate investment for research and development both in public & private sector for the development of new plant varieties.
4. Facilitate the growth of seed industry in the country which will ensure the availability of high quality seeds and planting material to the farmers.

General Functions of the Authority

- Registration of new plant varieties, essentially derived varieties (EDV) and extant varieties
- Developing DUS (Distinctiveness, Uniformity and Stability) test guidelines for new plant species
- Developing characterization and documentation of registered varieties
- Compulsory cataloging facilities for all variety of plants
- Documentation, indexing and cataloguing of farmers' varieties
- Recognizing and rewarding farmers, community of farmers, particularly tribal and rural community engaged in conservation, improvement, preservation of plant genetic resources of economic plants and their wild relatives
- Maintenance of the National Register of Plant Varieties and
- Maintenance of National Gene Bank

Q.1. Why protection of plant varieties has become an important issue?

Ans. The breeding activities and exploitation of new varieties are the decisive factors for improving rural income and their overall economic development. Since the process of plant breeding is long and expensive, it is important to provide an effective system of plant variety protection with an aim to encourage the development of new varieties of plants for the benefit of society.

Q2a. What is a variety?

Ans. Variety means a plant grouping except micro-organism within a single botanical taxon of the lowest known rank, which can be-

(i) defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype of that plant grouping.

(ii) distinguished from any other plant grouping by expression of at least one of the said characteristics; and

(iii) considered as unit with regard to its suitability for being propagating, which remain unchanged after such propagation, and includes propagating material of such variety, extant variety, transgenic variety, farmers' variety and essentially derived variety.

b. Essentially Derived Varieties (EDV):

Means a variety which has been essentially derived from existing variety by any of the following means:

(i) Genetic Engineering

(ii) Mutation

(iii) Tissue Culture Derived

(iv) Back Cross Derivative

(v) Any other (Ploidy change etc.)

EDV is clearly distinguishable from such initial variety; and conforms (except for the differences which result from the act of derivation) to such initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotype of such initial variety.

Q.3. What is the definition of a farmer in the PPV & FR Act?

Ans. Farmers means a person who-

i. cultivates crops by cultivating the land himself; or

ii. cultivates crops by directly supervising the cultivation of land through any other person; or

iii. Conserves and preserve, severally or jointly, with any person any wild species or traditional varieties through selection and identification of their useful properties.

Q. 4. a. What is a Farmers' Variety?

Ans. A variety which:

- has been traditionally cultivated and evolved by the farmers in their fields; or
- is a wild relative or land race or a variety about which the farmers possess the common knowledge.
- Farmer's variety is exempted from application/registration fees and his application need not be accompanied with fees, affidavit for terminator technology.

b. Is there any relaxation in purity standards and requirement of seed for test?

Ans. The numbers of off types for farmers' varieties shall not exceed double the number of off types prescribed for a new variety. The seed required is half of the quantity prescribed for the new variety.

Q. 5. What are Farmers' rights?

Ans.1.Farmer who has bred or developed a new variety shall be entitled for registration and other protection under PPV&FR Act, 2001 in the same manner as a breeder of a variety.

2. Farmer who is engaged in the conservation of genetic resources of land races and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation shall be entitled in the prescribed manner for recognition and reward from the Gene Fund provided that material so selected and preserved has been used as donors of genes in varieties registered under this Act.

3. Farmer shall be entitle to save, use, sow, re-sow, exchange and share or sell his farm produce including seed of a variety protected under this Act in the same manner as he was entitled before the coming into force of this Act provided that the farmer shall not be entitled to sell branded seed of a variety protected under this Act.

Q. 6. What is the duration of protection of a registered plant variety?

Ans. The duration of protection of registered varieties is different for different type of crops which are as below:

1. Trees and vines - 18 years.
2. For other crops - 15 years.
3. For extant varieties notified under section 5 of the Seeds Act, 1966 - 15 years from the date of notification under section 5 of the Seeds Act, 1966 Act.

Q.7. Can a new and distinct plant found growing in nature be protected?

Ans. As such those plant varieties present in wilderness cannot be registered, under PPV&FR Authority. However, any traditionally cultivated plant variety which has undergone the process of domestication /improvement through human interventions can be registered and protected subjected to fulfilment of the eligible criteria.

Q. 8. What are the characteristics which may be used for distinguishing a variety?

Ans. The new variety should be distinct from the other varieties for at least one essential characteristic.

Q. 9. What are the prerequisites for filing an application form for registration of plant variety?

Ans. For registration of a plant variety the following prerequisites has to be completed:

1. Denomination assigned to such variety.
2. Accompanied by an affidavit that variety does not contain any gene or gene sequences involving terminator technology.
3. Complete passport data of parental lines from which the variety has been derived along with its geographical location in India and all such information relating to the contribution if any, of any farmer (s), village, community, institution or organization etc in breeding, evolving or developing the variety.
4. Characteristics of variety with description for Novelty, Distinctiveness, Uniformity and Stability.
5. A declaration that the genetic material used for breeding of such variety has been lawfully acquired.
6. A breeder or other person making application for registration shall disclose the use of genetic material conserved by any tribal or rural families for improvement of such variety.

Q. 10. What comprises a plant variety protection Application Form?

Ans. The application for registration of a variety is to be made in the form prescribed in the PPV & FR Regualtions,2006.

1. Form I - for registration of new variety, extant variety and farmer's variety and
2. Form II - for essentially derived varieties (EDVs).
3. Technical Questionnaire attached with Form I/Form II – fc detailed information of the concerned variety.

These filled application forms must be accompanied by the registration fe prescribed in the PPV & FR Rules, 2003.

Q.11. Who can apply for the registration of a plant variety?

Ans. Application for registration of a variety can be made by:

1. any person claiming to be the breeder of the variety;
2. any successor of the breeder of the variety;
3. any person being the assignee or the breeder of the variety ir respect of the right to make such application;
4. any farmer or group of farmers or community of farmers claiming to be breeder of the variety;
5. any person authorized to make application on behalf of farmers and
6. any University or publicly funded agricultural institution claiming to be breeder of the variety.

Q. 12. Which is the office for making application for the registration of plant varieties?

Ans.Application for registration of plant varieties can be made in the office of Registrar, PPV&FRA, New Delhi. The address of the Office is: Registrar, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority, Govt. of India, Ministry of Agriculture, Society Block, 2nd Floor, NASC Complex, DPS Marg, Opposite Todapur, New Delhi – 110012. Also any information regarding the protection, application, fee structure, etc. can be obtained from this office. Completed forms in triplicate, with fee/charges should be submitted to the Registrar with all enclosures, TQ, affidavits in his New Delhi Office or can be sent by Registered Post. Two branch offices have also been opened one at Guwahati (Assam) and one at Ranchi (Jharkhand) to facilitate the applicants.

Q.13. Can an application for registration of plant varieties be made through an agent?

Ans. Yes, a breeder or a farmer can apply for registration either in person or through his agent.

Q. 14. Is it necessary to submit the seed / propagating material before registration?

Ans. Yes, the breeder shall be required to deposit the seed or propagating material including parental line seeds of registered variety to the Authority. An applicant has to submit a fixed amount of seed sample (breeder seed) with prescribed germination percentage, physical purity and phyto-sanitary standards. The applicant shall also submit along with the seed/propagating material and the seed quality test report.

Q. 15. What is done with the seeds received by the Authority?

Ans. The seed samples received by the Authority will be properly tested for its purity and germination. A part of the seed sample sent to the test centre for conduct of DUS tests and a part of is kept by the Authority in the National Gene Bank to maintain the seed samples of the registered varieties for their entire period of protection.

Q. 16. Can a person apply for registration of a variety which is already in the market?

Ans. Any variety which is already in the market, but not for more than a year, can be applied for registration as a new variety. Other older variety can be applied for registration as Extant Variety.

Q. 17. What is the cost of registering a plant variety?

Ans. The fee structure as defined by the PPV&FR Authority is as below:

A. **Form Charges**

1. Application Form processing Charges Rs.200/-

B. Registration Charges

Type of variety	Registration fee
Essentially Derived Varieties/ New Varieties	Individual Rs. 5000/- Educational Rs. 7000/- Commercial Rs. 10000/-
Extant Variety notified under section 5 of the Seeds Act, 1966	Rs. 1000/-
Extant Variety about which there is common knowledge	Individual Rs. 2000/- Educational Rs. 3000/- Commercial Rs. 5000/-
Farmers' Variety	No fee

C. DUS test fee*

Crop species	Dust test fees
Wheat , rice, maize, sorghum, pearl millet, pigeon pea, chickpea, lentil, mung bean, urd bean, field pea, kidney bean	Rs. 20,000/-
Oilseed crop species	Rs. 20,000/-
Black pepper, small cardamom, ginger, turmeric	Rs. 45,000/-
Rose, chrysanthemum	Rs. 45,000/-
Mango	Rs. 30,000/-
Potato	Rs. 48,000/-
Tomato, brinjal, okra, cabbage, cauliflower, onion, garlic	Rs. 40,000/-

D. Annual Fee

Type of variety	Annual Fees
New Variety	Rs. 2000/- plus 0.2 per cent of the sales value of the seeds of the registered variety during the previous year plus 1 percent of royalty, if any, received during the previous year from the sale proceed of seeds of a registered variety.
Extant variety notified under Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966)	Rs 2000/- only.
Extant variety other than the category specified above	Rs. 2000/- plus 0.1 per cent of the sales value of the seeds of the registered variety during the previous year plus 0.5 percent of royalty, if any, received during the previous year from the sale proceed of seeds of a registered variety.
Annual fee shall be determined on the basis of declaration given by the registered breeder or agent or licensee regarding the sales value of the seeds of the variety registered under the Act during the previous year and royalty, if any, received during the previous year from the sale proceed of seeds of the registered variety and verified by the Authority.	

Q. 18. What are the exemptions provided under the PPV & FR Act, 2001?

1. Farmers' Exemption: Farmer shall be entitled to produce, save, use, sow, re sow, exchange, share or sell his farm produce including seed of a variety

protected under this Act.

2. Researcher's Exemption: (i) the use of registered variety for conducting experiment.

(ii) the use of variety as an initial source of variety for the purpose of creating other varieties.

Q.19. What are the acts of infringement of the rights provided to the registered breeder under the Act?

Ans. Following acts may be a case of infringement under the PPV&FR Act:

1. If a person who is not a breeder of a variety registered under this Act, or a registered agent or a registered licensee of that variety, sells, exports, imports or produces such variety without the permission of its breeder or within the scope of a registered license or registered agency without their permission of the registered license or registered agent.

2. If a person uses, sells, exports, imports or produces any other variety giving such variety, the denomination identical with or deceptively similar to the denomination of a variety already registered under this Act, in such a way that it causes confusion in the mind of general people in identifying the registered variety.

Q. 20. Is there any punishment if any person falsely represents a variety as a registered variety?

Ans. If any person falsely represents a variety as a registered variety then he shall be punishable with imprisonment for a term not less than six months which can be extended up to three years or with a fine not less than Rupees one lakh which may be extend to Rupees five lakhs, or with both.

Q.21. What species can be protected?

Ans. The Central Government has notified the following crops with their genera and species eligible for registration as new varieties.

57 notified crop species

S.No.	Crops	S. No.	Crops
1.	Bread wheat	30	Onion
2.	Durum wheat	31	Okra
3.	Dicoccum wheat	32	Cabbage
4.	Other Triticum species	33	Cauliflower
5.	Damask Rose	34	Black pepper
6.	Rice	35	Small Cardamom
7.	Pearl millet	36	Rose
8.	Sorghum	37	Chrysanthemum
9.	Maize	38	Castor
10.	Pigeon pea	39	Indian Mustard (Brassica juncea L. Czern & Coss)
11.	Chickpea	40	Karan Rai (*Brassica carinata* A Braun)
12.	Green gram	41	Rapeseed
13.	Black gram	42	Gobhi Sarson
14.	Kidney bean/ French bean	43	Soybean
15.	Lentil	44	Linseed
16.	Field pea / Garden pea	45	Groundnut
17.	Cotton (*Gossypium hirsutum* L.)	46	Sunflower
18.	Cotton (*Gossypium barbadense* L.)	47	Safflower
19.	Cotton (*Gossypium arboreum* L.)	48	Sesame
20.	Cotton (*Gossypium herbaceaum* L.)	49	Mango
21.	Jute (*Corchorus olitorius* L.)	50	Coconut
22.	Jute (*Corchorous capsularis* L.)	51	Periwinkle (Sadabahar)
23.	Sugarcane	52	Indian Pennywort (Brahmi)
24.	Ginger	53	Isabogal
25.	Turmeric	54	Pudina
26.	Potato	55	Cymbidium Sw. (Orchid
27.	Tomato	56	Vanda Jones ex R.Br. (Orchid)
28.	Brinjal	57	Dendrobium Sw. (Orchid)
29.	Garlic		

List of Prioritized crops for notification

Cashew	Coriander	Litchi	Guava
Rubber	Tea	Coffee	Eucalyptus
Casuarina (2 Species)	Neem	Jatropha	Karanj
Bamboo (2 Species)	Walnut	Almond	Apple
Pear	Cherry	Apricot	Sweet potato
Orchids(2 genera)	Cassava	Papaya	Banana
Citrus (3 species)	Cucurbits (8 species)	Ber	Datepalm
		Barley	

Q. 22. Is there any provision of onsite testing of trees and vines?

Ans. Yes, the applicant has an option for onsite testing and t fee prescribed will not exceed four times the fee prescribed for norm DUS test.

Q. 23. What is the provision for special test?

Ans. The special tests shall be conducted only when DUS testi fails to establish the requirement of distinctiveness. The DUS testi shall be field and multi-location based for at least two crop seaso and special tests be laboratory based. The Authority shall char separate fees for conducting DUS test and special test on each varie The fee for DUS and special tests shall be such as provided in colu (3) of the Second Schedule for the purpose.

Q. 24. How to get information about General and Specific Guideli for DUS Testing?

Ans. The General and Specific Guidelines for DUS Testing of 57 notifi crop species are available in various issues of Plant Variety Journal India. The cost of each issue of the Journal is Rs. 100/- or Rs. 1200/- p year payable in form of DD in favour of the Registrar, PPV&FR Author The PVJI is also available on the official website of PPV&FR Authority

Q. 25. From which date the PPV&FR Authority starts receivi applications for Registration of Plant Varieties?

Ans. The PPV&FR Authority started receiving applications f Registration of Varieties of 12 notified crop species from 21st Ma

2007 and at present the Authority is accepting the applications for 57 notified crops species.

Q. 26. To whom the application has to be submitted?

Ans.The Application for registration of varieties of 57 notified crop species has to be submitted to The Registrar, PPV&FR Authority, Society Block , 2nd floor, NASC Complex, DPS Marg, New Delhi - 110012.

Q. 27. What are the Business Hours for receiving application and seed samples?

Ans. The Business Hours for receiving application and seed samples in the office of Registrar PPV&FR Authority are as under:-

S.No	Particulars	Timings	
		Day	Time
1.	Applications for all varieties for the crop species Gazette notified under the Act.	Monday to Friday (Working days)	10:00 Hours to 15:00 Hours

Q. 28. What are the guidelines for submission of applications for Registration of Plant Varieties?

Ans.The guidelines for submission of applications for Registration of Plant Varieties are as under:

1. Every application must be submitted in triplicate and signed by the applicant or their representative. Application should be submitted in hard copy along with all essential requirements by hand/ by post till further notice.
2. Applications will be received from Monday to Friday (working days) from 10:00 Hours to 15:00 hours. No application will be accepted on Saturday and Sunday and Public Holidays.
3. Every application must have the name of the applicant, their address and nationally as well as the address of service of their agent (if Applicable).
4. Until otherwise notified in the Plant Variety Journal of India, each application should be accompanied with an application charge of Rs. 200/- and specified fee for registration by demand draft drawn in favour of the "Registrar, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority", New Delhi.
5. The office of the Registrar shall issue acknowledgment receipt and number which shall be used for all future references including the checking of the status of application.
6. The Application will be received on "first come first serve" basis.
7. No applications will be received after business hours.
8. After submission of application, it will be processed according to the provisions of the Rule 29(2) of the PPV&FR Rules, 2003.

Q. 29. What is the difference between the Seeds Act, 1966 and PPV&FR Act, 2001.

Seeds Act, 1966, Seeds Rules 1968 with Seeds (Control Order) 1983 are the legal instruments for regulating the production, distribution and the quality of certain seeds for sale and for matters connected therewith, whereas the PPV&FR Act, 2001 grants the proprietary ownership of the variety to the plant breeders and farmers for their varieties. Intellectual Property Rights are the private rights which confer to the legitimate owners exclusive rights to produce, sell, market, distribute, import or export the variety registered under the PPV & FR Act.

Q. 30. Which are other countries which have legislations/policies to protect farmers' rights?

Ans.Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Pakistan, Bangladesh and Nepal. Besides, many countries have a provision for farmers' privilege.

Q. 31. What is UPOV and how many countries are members of UPOV?

Ans. UPOV means "International Union for the Protection of New Varieties of Plants". Total 70 countries are members of UPOV. India has been given the status of observer.

Q. 32. Can a plant variety be protected under the Patent Law in India?

Ans. No, Plant variety cannot be patented in India.

Q. 33. Can a foreign applicant obtain registration of their variety under PPV & FR Act, 2001?

Ans. Yes, the procedure for obtaining plant variety registration is same for Indian citizen and foreigners. However, foreign applicant must furnish their address for service in India while applying for plant variety registration.

Q. 34. What is difference between patent and PPV&FR Act?

Ans. A patent deals with IPR over devices of Industrial applications whereas PPV & FR Act, 2001 confers IPR to plant breeders who have bred or developed plant varieties. A patent is a set of exclusive rights granted by a state (national government) to an inventor or their assignee for a limited period of time in exchange for the public disclosure of an invention. The PPV&FR Act, give rights to farmers, breeders and researches besides giving protection to varieties of all crop species which are notified under the Act. There is also provision for benefits sharing, compensation to the farmers, recognition and award to the farmers for supporting conservation and sustainable use of plant genetics resource.

Q. 35. What is National Gene Fund and for what purpose it is utilized ?

Ans. The National Gene Fund has been constituted by the Centra Government to promote, recognize and reward those farmers whc are engaged in the conservation of genetic resources of land race: and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation in the agro-biodiversity hot-spot: and also to a farmer who is engaged in conservation of genetic resources of landraces and wild relatives of economic plants and thei improvement through selection and preservation provided materia so selected and preserved has been used as donor of genes ir varieties registered under the Act.

The Gene fund shall be enriched from the money received in th form of Compensation, Annual fee, Benefit sharing and contribution from National & International Organizations. The money collecte under this fund shall be utilized for reimbursement of benefi sharing, reimbursement of compensation; support and reward th farming communities, particularly the tribal and rural communitie engaged in the conservation, improvement and preservation of geneti resources of economic plants and their wild relatives, particularl in the areas identified as agro-biodiversity hotspots.

Gene fund shall also be used for supporting the conservatio and sustainable use of genetic resources including in-situ and e: situ collections and for strengthening the capability of Panchayat i carrying out such conservation and sustainable use.

Address for communication:

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
S-2, A Block, NASC Complex, Dev Prakash Shastri Marg,
New Delhi-110 012
Tel: +91-11-25843315, 25840777, 25843808
Fax: +91-11-25840478
Website : www.plantauthority.gov.in
E-mail: ppvfra-agri@nic.in

प्ररूप –I

(विनियम 10 देखिए)

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन नई किस्म, विद्यमान किस्म और कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 18 देखिए, अनिवार्यत: व्युत्पन्न किस्म से भिन्न)

(आवेदन के लिए अनुदेश : जहां कहीं प्रश्नों के सामने बाक्स बना हो वहाँ कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएँ तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित / टंकित उत्तर दें ।

1. **आवेदकों का पहचान :**

* व्यष्ठिक प्रजनक	* कृषक समूह
* प्रजनक का उत्तराधिकारी	* उपरोक्त में से किसी का
* संस्थागत आवेदन	* समनुदेशिती[2]
* कृषक समुदाय	* अभिसमय देश[3]
* कृषक समुदाय[1]	* कोई अन्य[4]

1. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अन्तर्विष्ठट कृष्कों या कृषक समुदाय या कृषक समूह द्वारा कृषक किस्म के बारे में आवेदन या तो संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति द्वाराया जिला कृषि अधिकारी द्वारा या सम्बन्धित राज्य के कृषि विश्विद्यालय के निदेशक, अनुसंधान या जिला जनजाति किास अधिकारी द्वारा उपाबंध 1 में पृष्ठांकन करने पर ही प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. समानुदेशी या आवेदक का विधिक प्रतिनिधि? नियम 27 के अनुसार आवेदन करने के अधिकार का अपेक्षित सबूत प्रस्तुत करेगा ।

3. भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना में आवेदन का देश भी आना चाहिए और भारत को ऐसे पारस्परिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं (अधिनियम की धारा 31 देखिए)

4. सहभागी पौधा प्रजनन से विकसित सामग्री के लिए ऐसे दस्तावेज संलग्न कीजिए जो कृषक और पौधा प्रजनक के बीच किए गए व्यवहार को स्पष्ट से दर्शाए ।

आवेदक (आवेदकों) का / के नाम और राष्ट्रीयता

(क)(प्राकृतिक व्यक्ति की दशा मे) : यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ डालें,

1. क्रम संख्या

2. नाम[3]

3. पूरा पता

4. राष्ट्रीयता

[3]यदि आवेदक कृषक समुदाय या कृषक समूह का प्राधिकृत प्रतिनिधि है तो समूहके सभी सदस्यों या आवेदक का पहचान 'कृषक समुदाय' संलग्न हो तो समुदाय के प्रधान / पदाधिकारी द्वारा दो व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित प्ररूप तफ़-१ में प्राधिकार संलग्न किया जाएगा ।

(ख) (विविध व्यक्ति की दशा में : जैसे फर्म या कम्पनी या संस्था)

नाम : ----------

उसके मुख्यालय या स्थापन का पता : ----------

(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय) : ----------

निगमन वर्ष : ----------

लिखित क्या विधिक व्यक्ति आवेदक के पास पूँजी या प्रबंध में अभारतीय भागीदारी है :

हाँ नहीं

यदि हाँ, तो राष्ट्रीयता बताएँ : ----------

(ग) प्राकृतिक व्यक्ति, जो विधिक व्यक्ति का कर्मचारी हो, जो विधिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो (उदाहरण के लिए किसी कम्पनी का निदेशक या किसी फर्म का भागीदार) का नाम और पता लिखिए–

नाम : ----------

पदनाम : ----------

पता : ----------

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई-मेल : ----------

3. **उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबंधित पत्र भेजे जाने हैं (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप तफ - 1 में प्राधिकार संलग्न करें)।**

नाम : ----------

पता : ----------

पिन : ----------

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई-मेल : ----------

4. **अभ्यर्थी किस्म की साधारण जानकारी**

फसल का सामान्य नाम : ----------

वनस्पतीय नाम : ----------

कुल : ----------

अभिधान (बड़े अक्षरों में) : ----------

वनस्पतीया नाम से अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामरण सहिता द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक का नाम अभिपित है ।

5. **किस्म का प्रकार (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, २००३ का अध्याय 3 देखिए)**

नई किस्म

विद्यमान किस्म

कृषक किस्म

6. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

प्ररूपिक किस्म⁵

संकर किस्म*

ट्रांसजेनिक

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

5. प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यत: व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादक चक्रों में यावृत प्रवर्धो का उपयोग करके सामान्यता प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : जिसके अंतर्गत पैतृक परंपरार, संश्लेष्ठित/समिश्रित किस्में या वनस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी है।)

* संकर न कि टांसजेनिक संकर की दशा में, खेती और बीज उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कीजिए।

(ख) सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता तत्व क्या हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। समूह लक्षणों को सविस्तार बताइए (ब्यौरे के लिए विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश देखिए) तकनीकी प्रश्नावली पूरे विवरण सहित संलग्न कीजिए जो मुहर सहित सभ्यकत: हस्ताक्षरित हो।

(ग) यदि नई किस्म टांसजेनिक है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का 'जैव' सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए।

7. प्रजनक/प्रजनकों का नाम और पते जिसमें /जिन्होनें अभ्यर्थी किस्म⁶ को प्रजनित किया है।

नाम : --

पता : --

दूरभाष : --

पौ कि क. अ. सं. प्रा.

दूरभाष : ----------

फैक्स : ----------

ई-मेल : ----------

राष्ट्रीयता : ----------

[1]एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए । यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएँ । यदि किस्म को कृषकों के समूह या समुदाय द्वारा विकसित और संरक्षित किया गया है तो उसका पृष्ठांकन उपाबंध 1 में किया जाएगा ।

8. **(क) अभिसमय देशों में या अन्य देशों में अभ्यर्थी किस्म के बारे में किए गए अन्य पूर्वत्तर आवेदनों का विवरण (यदि लागू हो तो):**

किस्म अभिधान : ----------

आवेदित अधिकार की प्रकृति : पौधा प्रजनक के पेटेन्ट अधिकार

फाइल करने की तिथि : ----------

(साक्ष्य संलग्न करें) : ----------

देश का नाम : ----------

प्राधिकरण का नाम : ----------

आवेदन संख्या : ----------

आवदेन की स्थिति : ----------

विचाराधीन अनुमोदित नामंजूर

(यदि आवश्यक हो तो हर लागू देश के लिए उपर्युक्त को दोहराएँ और अतिरिक्त पन्ना लगाएँ)

(ख) यदि उक्त अभिधान की अभ्यथी किस्म के सबसे पहले आवेदन के संबंध में अब पूर्विकता मांगी जाती है (यदि लागू हो)

किस देश में : ----------

किस तारीख को : ----------

(आवेदन की तारीख)

9. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है ? हाँ नहीं

यदि हाँ, तो कृप्या निम्नलिखित बताएँ :

किस्म के प्रथम विक्रम की तारीख : ----------

वह देश जहाँ संरक्षण किया गया है : ----------

प्रयुक्त अभिधान : ----------

प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो : ----------

प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्ष्णण में भिन्नता : (अलग से पन्ना लगाएँ)

10. (क) यदि अभ्यर्थी किस्म संकर है तो बताएँ कि क्या संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए आवश्यक पैतृक परंपरा आवेदक द्वारा अनन्यतः प्रजनित हैं :

हाँ नहीं

यदि नहीं तो उल्लेख करें कौन सी पैतृक परंपरा बाह्यसाधित है, क्या पौध किस्म और कृषक संरक्षण अधिनियम, की धारा 30 के अनुपालन में प्रत्येक बाह्य साधित संरक्षित पैतृक परंपरा के लिए करारपत्र अभिप्रापत किया गया है तथा प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित जानकारी भी दें :-

पैतृत परंपरा : ----------

अभिधान[8] :----------

स्त्रोत : ----------

प्राधिकार-पत्र संलग्न संलग्न नहीं

[8] स्त्रोत पर प्रयुक्त किए गए अभिधान को नहीं बदलना चाहिए । स्त्रोत संबंधी सूचना में प्रजनक का नाम या संस्था या कृषक या कृषक समुदाय का नाम जिसने पैतृक परंपरा को प्रजनित किया और पोषित किया । अतिरिक्त लागू पैतृक परंपरा के लिए उपर्युक्त जानकारी दोहराएँ ।

(ख) बताएँ संकर के बार-बार प्रवर्धन के लिए पैतृक परंपरा के रूप में यदि किसी कृषक किस्म का या सामान्य ज्ञान की किस्म का लोक क्षेत्र की किस्म का प्रयोग किया जाता है :

हाँ नहीं

यदि हाँ तो निम्नलिखित विरण दें :

अभिधान:

भौगोलिक स्त्रोत :

सहज गुणों के ब्यौरे (उद्भव) :

स्वामी कृषक / ग्राम समुदाय /संस्था / संगठन का ब्यौरा

(ग) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, २००१ उन कृषकों को फायदों का हिस्सा पाने को सुगम बनाता है जिन्होंने आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित किया है जिससे किस्म के विकास में योगदान मिला है। इस विशिष्ठ मामले में आवेदक ने किस प्रकार की कुषक / समुदाय मान्यता की योजना बनाई है ?

11. **किस्म या संकर की व्युत्पत्ति में यदि, विदेशज जनन द्रव्य का प्रयोग किया गया है तो विवरण दीजिए :**

12. **आवेदन फीस और सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता परीक्षण शुल्क के संदाय का विवरण**

फीस राशि ---------- रू

(केवल ---------- रुपए)

मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख :----------

बैंक और शाखा का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट आहरण किया गया है:-

' इस आवेदन के स्तंभ 1 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण के अनुसार प्रस्तुत कृषकों, कृषक समूह और कृषक समुदाय के आवेदनों पर सुभिन्नता, एकरूपता स्थिरता, परीक्षण फीस संदाय करने से छूट है ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं / हम उपरोक्त अभिधान सहित अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं और मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इस आवेदन से संबंधित उसके नियमों से परिचित हूँ / हैं ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित व्यक्ति / व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन, या खोज का विकास में शामिल नहीं रहा है ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि अभ्यर्थी किस्म पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धाा 29 की उपधारा (3) का अनुपालन करती है।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैंनें / हमने इस किस्म के उक्त अभ्धिान के लिए या किसी व्यापार चिह्न के लिए आवेदन नहीं किया है या प्रापत नहीं किया है।

मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुपालन में एक शपथ प्त्र संलग्न करता हूँ / करते हैं ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त अभ्यर्थी किस्म के रजिस्ट्रीकरण के इस आवेदन में दी गई जानकारी जिसके अंतर्गत उपाबंध और सभी सहायक दस्तावेज भी है, मेरे हमारी सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास कके अनुसार पूर्ण, सत्य और सही है और काई भी जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है ।

मैं / हम घोषित करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के सभी उपबंधों तथा दिशानिर्देशों का पालन करूगाँ / करेंगे।

स्थान : ---------- आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख : ---------- मुहर

[10] जहां कहीं आवेदक एक से अधिक हैं वहां हर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगें। प्राधिकारी आवेदक या समनुदेशितियों के द्वारा आवेदन की दशाम इस प्रकार प्राधिकृत या समनुदेशित व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करेगा / करेंगे ।

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सम्यक रूप में हस्ताक्षरित और मुहर सहित) प्रस्तुत हैं :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे):

(क) पूरा आवेदन :

(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध में पृष्ठांकन :

(यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार)

(ग) प्ररूप तफ 1 में प्राधिकार का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(घ) प्ररूप तफ 2 में समनुदेशन का दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(ड) ऊपर दिए गए (ख) और (घ) की पुष्टि में दस्तावेज (यदि लागू हो) :

(च) यदि शपथपत्र की टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी और अनुवंशिक प्रयोग निर्बधन प्रौद्योगिकी अन्तर्वलित नहीं है :

(छ) फाइल करने की तारीख को दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो स्तंभ 8क के अनुसार)

(ज) करार पत्र की प्रतिलिपित (यदि लागू हो तो 10क के अनुसार)

(झ) अभ्यथ्री किस्म की तकनीकी प्रश्नावली (संलग्न)

(ड्) यदि आवेदक उत्तराधिकार या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार के समनुदेशन के फलस्वरूप आवेदक हैं तो पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

की धारा 18 की उपधारा (3) में यथा अनुबंधित आवेदन करने का अधिकार दर्शित करने का सबूत संलग्न करें ।

(ट) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, संलग्नक के रूप में पहली बार फाइल करने के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षण में परिवर्तन संबंधी पूरा विवरिण संलग्न करें :

(ठ) अभिसमय देश आवेदक की दशा में, यह जानकारी दें कि क्या वह किस्म अभिसमय देश के भीतर या बाहर बेची जा चुकी है अथवा उसका अन्यथा व्ययन किया जा चुका है:

(ड) ट्रांसजेनिक की दशा में, सुसंगत जननिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुमोदन: और

(ढ़) फीस, जो लागू है

यदि आवयक समझें तो सुभिन्नता स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट विशेषताओं के रंगीन चित्र संलग्न करें । कृपया आवेदन और हर दस्तावेज के बांये हाशिये में, हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

उपाबंध-1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक / कृषक समूह/ कृषक समुदाय का / के नाम

क्रमांक	उपनाम सहित नाम / समूह का नाम / समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. अभ्यर्थी किस्म का अभिधान: ----------

3.क (व्यष्टिक कृषक आवेदन को लागू

मैं घोषित करता हूँ कि मैं ---------- राज्य सरकार के---------- जिले में ----------

स्थानीय निकाय/ पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ----------

में पिछले अनेक वर्षो से स्थायी किसान रहा हूँ और मैं और मेरा परिवार ---------- वनस्पतिक प्रजाति की ----------

प्रकार (फसल का सामान्य नाम) प्रकार के अंतर्गत रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत् संरक्षक हैं ।

3ख (आवेदन कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषणा करते हैं कि ---------- राज्य के ---------- जिले में ---------- स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ---------- में पिछले अनेक वर्षो से स्थयी किसान हैं और हम ---------- वनस्पतिक प्रजाति की ---------- फसल (फसल का सामान्य नाम) प्रकार के अंतर्गत रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के आरंभिक और अनन्य विकासकर्ता तथा सतत संरक्षक हैं ।

---------- (नाम) पुत्री श्री ---------- को जो आवश्यक कार्वाई करने के लिए हमारे समूह/ समुदाय का सदस्य है और ---------- (पूरा डाल पता) का स्थायी निवासी है तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन हमारे पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए हमारी होर से हस्ताक्षरकर्ता होंगें ।

तारीख : ----------

स्थान : ----------

कृषक या समूह / समुदाय के प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसका नाम
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के
समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्भि किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/क1षक समुदाय द्वारा ही जो उपरोक्त गांव के स्थायी निवाही हैं प्रजनित / विकसित ओर निरंतर संरक्षित हैं तथा उसकी खेती की जाती है और मैं आवेदन कृषक / कृषक समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूँ तथा यह कि अभ्यथ्री किस्म उनके प्रयासें से ही है। (विकल्प के रूप में दिए गए अवांछित शब्दों को काट दीजिए)

तारीख ------------

स्थान : ------------

हस्ताक्षर ------------

नाम ------------

संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष / सचिव अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा संबंधित राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक अथवा संबंधित जिला जनजातीय विकास अधिकारी

(पदीय स्टांप मुहर सहित)

प्ररूप – 1 क

प्राधिकरण के लिए प्ररूप

(कृप्या विनियम 13 (1) और 13(6) (1) देखें)

जिससे संबंधित हो

मैं /हम ---------- बीजों / प्रवर्धन सामग्री के रजिस्ट्रीकृत प्रजनक हूँ / हैं, मेरे /हमारे पास इसका प्रमाण पत्र संख्या ---------- है और अभिधात सं. ---------- है, ---------- के संबंध में निवासी ---------- को निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त करते हैं ।

(जो लागू हो कृपया निशान लगाएं)

क. उत्पाद का अधिकार

ख. विक्रय का अधिकार

ग. विपणन का अधिकार

घ. वितरण का अधिकार

ड. नीचे दिया गया काई अन्य अधिकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के इस विलेख के अधीन प्रदत्त अधिकार निम्नलिखित शर्तो औन निबन्धनों के अधीन होंगें :-

(1) **अवधि**

इस प्राधिकरण की अवधि रजिस्ट्रीकृत पौधा प्रजनक के पूर्ण स्ववविक पर नवीकरण के अध्यधीन केवल ---------- की अवधि के लिए होगी ।

(2) **पुनरीक्षण**

प्राधिकरण के लिखत को उपरोक्त में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत प्रजनन द्वारा खंउ (1) के अधीन उल्लिखित प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी उपांतरण / पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

(3) **राज्य क्षेत्र**

इस प्राधिकरण के लिखत द्वारा प्रदत्त या सृजित अधिकारों और दायित्वों का ---------- क्षेत्र (भौगोलिक क्षेत्र विर्निदिष्ट करें) के भतीर ही प्रचालन का अर्थ होगा और उसी के भीतर विधिमान्य होगा और न कि इसमें उल्लिखित राज्य क्षेत्रों से परे ।

(4) **पर्यावसान**

इस प्राधिकरण के लिखित को रजिस्ट्रीकृत प्रजनक के एकमात्र विवके पर किसी भी समय पर्यावसान/निरस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण के लिखत को इस लिखत के खण्ड (1) के अधीन उल्लिखित शर्त के भीतर प्यावसान किया होगा यदि इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की किसी धारा और उसमें बनाए गए नियमों का उल्लंधन करता है ।

(5) **एकल लिखत**

इस प्राधिकरण के लिखत को, जहां तक पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम 2001 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इसमें उपर्युक्त नामदिष्ट पंजीकृत प्रजनक द्वारा इसमें प्राधिकृत या सृजित अधिकारों का सबंधं है, एकमात्र साधन माना जाएगा ।

(6) **कोई उत्तराधिकार नहीं**

इस प्राधिकरण के लिखत प्राधिकृत या सृजित कार्यों या अधिकारों का उत्तराधिकार योग्य नहीं समझा जाएगा और अत: इसमें प्राधिकृत व्यक्ति (यों) की मृत्यु/ दीवालियापन/ समापन के मामले में, इस प्राधिकरण के लिखत को पर्यावसान हुआ समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत पौधा किस्म प्रजनक का नाम)

साक्षी :

(क)

(ख)

तकनीकी प्रश्नावली

1. आवेदक / पजनक / कंपनी का नाम :

---

2. स्थापना वर्ष :

---

3. क्या वह कंपनी अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (विवरण दीजिए):

---

4. निगमित कार्यालय का स्थान और पता :

---

5. फोन /फैक्स/ई-मेल :

---

6. अभ्यर्थी किस्म का नाम:

(क) क्या इसे किसी कन्वेंशन देश में इससे पूर्व लोकापिर्तत किया जा चुका है

हाँ नहीं

यदि हाँ तो स्तंभ सं 13 में पूरा ब्यौरा दीजिए ।

(ख) वंशावली / वंशक्रम ---

(अभ्यर्थी किस्म के प्रजनन में प्रयुक्त किस्मों, परम्पराओं या क्लोनों का ब्यौरा देते हुए आरेखीय रेखाचित्र सहित)

(ग) अभ्यर्थी किस्म का प्रजनन

(i) उत्पत्ति (सही पर (✓) चिह्न लगाएँ) नियंत्रित परागण / खुला परागण / अभिप्रेरित उत्परिर्वतन / स्वत: प्रसूत उत्परिवर्तन / आमुख / चयन / पौघ चयन / कोई अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए ।

(ii) पैतृक सामग्री (पैतृक सामग्री का नाम, पैतृक सामग्री के लक्षण, जो अभ्यर्थी किस्म से प्रभेदृय हो) यदि किसी किस्म का विकास चयन द्वारा किया गया था तो उसे नियत करने से पूर्व पूरे किए गए चयन चक्रों की संख्या

(iii) प्रयुक्त की गई प्रजनन तकनीक / प्रक्रिया

(iv) प्रयुक्त की गई चयन मानदंड

पौ. कि. क. अ. सं. प्रा.

(v) चयन और गुणन का प्रक्रम

(vi) वह स्थान जहाँ प्रजनन किया गया

---

7. **आवेदक द्वारा किए गए तुलनात्मक परीक्षण का विवरण, यदि कोई हो**

ऐसे तुलनात्मक परीक्षण के अवस्थान, स्थान, अवधि और वर्ष / मास, खेती की पद्धति जैसे खुला खेत, सुविधाएँ, पौधरोपण, अंकुरण आदि, खेतीबारी का पैमाना, प्रयुक्त की गई निर्देश किस्में, निर्देश किस्मों के चुनाव की मानदंड प्रयोग का डिजाइन, भिन्नता के विश्लेषण की पद्धति प्रयोगात्मक त्रुटि, जहाँ लागू हो, विषेयक जानकारी तथा अन्य विवरण ।

टिप्पणी : आवेदक अभ्यर्थी और निर्देश किस्मों के लक्षणों की सरणी के अतिरिक्त प्रजनन, तुलनात्मक परीक्षण और तुलनात्मक आंकड़ों के विवरण से संबंधित प्रकाशनों के आँकड़ों सारणियाँ, प्रतियाँ भेज सकते हैं । इस मद के अंतर्गत यह जानकारी प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित नहीं की जाएगी किंतु अभ्यर्थी किस्म की परीक्षा को सुकर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा ।

---

8. **अभ्यर्थी किस्म के लक्षण**

कृपया किस्म के लक्षणों का वर्णन उपशीर्षकों में कीजिए : पौधा, अंकुर, पत्ती, पुष्प समूह, पुष्प और पुष्प के भाग, फल और फल के भाग, बीज आदि । साधारणतया उपशीर्षकों के अंतर्गत लक्षणों

का वर्णन निम्नलिखित क्रम में कीजिए: प्रकृति, ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति, रंग (संस्करण के साथ आर.एच.एस. रंग चार्ट निर्देश) वर्णन को स्पष्ट करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो विनिर्दिष्ट दिशानिर्देश का हवाला दें ।

(क) (i) समूह लक्षणों का उल्लेख कीजिए –

(क) (ii) सुभिन्न लक्षण (वर्णनात्मक या सविस्तार)

(ख) अभ्यर्थी अभिधान और निर्देश किस्म के बीच लक्षणों की सारणी

कृपया निर्देश किस्मों के तत्संबंधी औसत मूल्यों के साथ-साथ महत्वपूर्ण लक्षणों के लिए उसके सब सुभिन्न और अन्य वर्णन के लिए प्रतिवलित मूल्यों का उल्लेख कीजिए ।

टिप्पणी : लक्षण सारणी में दो या अधिक निर्देश किस्मों की तुलना अभ्यर्थी किस्म से की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत एक ऐसी किस्म है जो सबसे अधिक समरूप किस्म समझी जाती है तथा अन्य जो यथासंभव प्रत्यक्ष / समरूप / यदि आप यह जानकारी देंगं तो इससे प्राधिकरण के लिए अभ्यर्थी किस्म की परीक्षा में और आगे डी.यू.एस. परीक्षण करना आसान हो जाएगा ।

लक्षण	अभ्यर्थी किस्म का लखणात्मक मूल्य									मापे गए मूल्य पर टिप्पणी आदि	निर्देश किस्म का लाक्षणिक मूल्य	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		( )	( )

9. निर्देश किस्मों के लक्षण

(ख) अत्यधिक समरूप किस्म

(i) अभिधान

(ii) तुलना के लिए इस किस्म के विकल्प का आधार

(iii) सुभिन्न लक्षण

(ख) अन्य निर्देश किस्म

(i) अभिधान

(ii) तुलना के लिए इस किस्म के विकल्प का आधार

(iii) सुभिन्न लक्षण

---

10. **अभ्यर्थी किस्म की सुभिन्नता का विवरण**

कृपया उन लक्षणों का संक्षिप्त सारांश देते हुए जो अभ्यर्थी किस्म को सामान्य जानकारी की सभी किस्मों से सुभिनन करते हों, सुभिन्नता विवरण दीजिए । सुभिननता विवरण के अंतर्गत निम्नलिखित होना चाहिए (i) निर्देश किस्म के नाम जो अभ्यथी किस्म के सर्वाधिक समरूप देखी गई है, और

(ii) अभ्यर्थी किस्म और समरूप /निर्देश किस्म के बीच प्रमुख प्रभेदक लक्षणों की तुलना

---

11. **अभ्यथी किस्म की सुभिन्नता, एकरूपता और स्थिरता संबंधी विवरण**

कृपया किस्म में किसी भिननता का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त विवरण दीजिए जिसे असके सामान्य एकरूपता या स्थिर अभिव्यक्ति का अंग माना जा सके । जो संभाव्य हो, सुस्पष्ट शर्तो में तथा वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य हो । इसके अंतर्गत भिन्न प्रकारों, रूपांतरों या उत्परिवर्तनों का वर्णन और बारम्बारता शामिल है। आपकी राय में, भिन्न प्रकारों या किसी अन्य वर्णनीय रूपांतर की बारंबारता क्या होनी चाहिए जिसके बाहर अभ्यर्थी किस्म एकरूप नहीं समझी जाएगी । कृप्या यह उल्लेख कीजिए कि वे कौन सी

विशेषताएँ हैं जो अभ्यर्थी किस्म के फेनोटाइप का अस्थिर प्रकटन तय करने के सूचक के रूप में विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट की जा सकें ।

---

12. **अभ्यर्थी किस्म को अनुरक्षित करने की पद्धतिया**

कृपया संक्षिप्त विवरण में बताएँ कि प्रचार सामग्री पौद्या प्रजनक के अधिकार की अवधि में किस प्रकार अनुरक्षित की जाएगी, और पूरा पता लिखें जहाँ वह किस्म अनुरक्षित होगी । इसके अंतर्गत किस्मों की स्थिति में शामिल है जो बीजों द्वारा प्रवर्धित नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत उनकी वनस्पतिक सामाग्री के अनुरक्षण और भंडारण का स्थान और पद्धति भी शामिल हैं ।

टिप्पणी : किसी पौधा प्रजनक अधिकार का धारक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अधिकार के दौरान अनुरक्षण में किस्मों के प्रवधन सामग्री प्रतिनिधि का अनुरक्षण करे ।

---

13. **अभिसमय देशों में रजिस्ट्रीकृत किस्म से संबंधित जानकारी**

क. इस अभ्यर्थी किस्म के लिए आवेदन में समूहकरण लक्षण क्या थे ?

(i) ---

(ii) ---

(iii) ---

(iv) ---

(v) ---

(vi) ----------

(vii) ----------

(viii) ----------

(ix) ----------

ख. सुभिन्नता एकरूपता और स्थिरता पैरामीटर क्या थे जिस पर इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था।

ग. पहली फाइलिंग और वर्तमान फाइलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण लक्षणों में कया भिननता है (फोटोचित्र लगाए)

घ. क्या उस किस्म को प्रथम फाइल किए गए देश में खेती से हटा लिया गया है अथवा किसी भी एचात्वर्ती लोकार्पण देश से निषिद्व कर दिया गया है ?

ड़ यदि हाँ तो कारण बताइए (जानकारी के साथ) ?

हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर और पता ----------

प्रजनक /कंपनी का पदनाम और उसकी मुहर

सत्यमेव जयते

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

राष्ट्रीय जीन निधि
से प्रदत्त
(पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 45 तथा पीपीवी एवं एफआर नियमावली, 2003 की धारा 70(2)(क) के अंतर्गत)

आवेदन–पत्र एवं क्रियाविधियां

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार
एनएएससी काम्प्लैक्स, द्वितीय तल, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली–110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण – एक परिचय

भारत को विभिन्न प्रकार की मृदाओं, जलवायु, कृषि प्रणालियों तथा पौधों की उप–प्रजातियों का वरदान प्राप्त है। इन्हें वृद्धि का एक सशक्त और प्रमुख तत्व मानते हुए भारतीय संसद ने 2001 में एक अधिनियम पारित किया जिसे "पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001" कहा गया और इसके अंतर्गत 2003 में नियमों का मसौदा तैयार किया गया। पीपीवी एवं एफआर अधिनियम 2001 की धारा 3 की उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना (एसओ 1589 ई) के अनुसरण में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) की स्थापना 11 नवम्बर 2005 में की गई। प्राधिकरण में अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने तथा नवम्बर 2005 में राजपत्र अधिसूचना के पश्चात् प्राधिकरण सक्रिय हुआ। उक्त अधिनियम का उद्देश्य था :

i. पौधा किस्मों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए प्रावधान करना;

ii. कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों हेतु प्रावधान करना;

iii. अनुसंधान एवं विकास में निवेश की प्रेरणा देना तथा बीज उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देना;

iv. कृषकों को उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज एवं रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार

यह स्थापित तथ्य है कि भारतीय किसान कृषि जैव–विविधता संरक्षण कार्य से आदिकाल से जुड़े हैं जो देश की विविध प्रकार की मृदाओं, भौगोलिक परिस्थितियों, मौसमों, धार्मिक कर्म–काण्डों तथा सामाजिक रीति–रिवाजों से जुड़ी रही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए उच्च उपजशील, ताप सहिष्णु, अगेती पकने वाली और श्रेष्ठ गुणवत्ता से युक्त नई पादप किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान संगठनों के साथ अपनी सामग्री की साझेदारी भी की है।

वर्तमान में अनुसंधान संगठनों तथा निजी बीज कंपनियों को आपूर्ति की जाने वाली संरक्षित पादप/कृषि जैव–विविधता से देश में कृषि तथा अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आई है। तथापि, विडंबना यह है कि इस प्रकार से एकत्र की गई संपदा से पादप/कृषि जैव–विविधता के वास्तविक संरक्षकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को सदैव पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाया है। यदि आर्थिक दबावों के चलते यही स्थिति बनी रही तो किसान/समुदाय पादप/कृषि–जैवविविधता का संरक्षण करने एवं उसकी आपूर्ति करने के अपने प्रयासों को त्याग भी सकते हैं।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के उद्देश्यों के अनुसार 'नई पौधा किस्मों के विकास में उपलब्ध पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, उसमें सुधार तथा उसकी उपलब्धता के लिए किए गए योगदानों के संदर्भ में **कृषकों के अधिकारों को पहचानना व उनकी रक्षा करना** आवश्यक माना गया है।'

इस उद्देश्य के आधार पर पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियमावली की धारा 70(2) में अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए जीन निधि उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसे परिभाषित किया गया है।

"**जीन निधि** निम्न **प्राथमिकताओं के आधार पर** निम्नलिखित **उद्देश्यों** को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी :

(क) ऐसे कृषकों, कृषक समुदायों, **विशेषकर** जनजाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता पहुंचाना और पुरस्कृत करना जो विशेष रूप से **कृषि जैव–विविधता वाले विशेष स्थलों/हॉट–स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों** में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।

(ख) विशेषकर, **स्वःस्थाने संरक्षण में सहायता के लिए** कृषि–जैवविविधता के विशेष स्थलों या हॉट–स्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में स्थानीय निकाय की **बहिर्स्थाने संरक्षण** पर **क्षमता निर्माण** के लिए"

इस प्रकार, अधिनियम और नियमों द्वारा जीन निधि से कृषकों/कृषक समुदायों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने की एक क्रियाविधि उपलब्ध हुई। राष्ट्रीय जीन निधि की स्थापना से संबंधित अधिसूचना भारतीय पौधा किस्म जरनल खंड 1, अंक 3 में अधिसूचित की गई। कृषि जैवविविधता संबंधी हॉट–स्पॉट्स का विस्तृत विश्लेषण प्राधिकरण द्वारा गठित एक कार्यबल द्वारा किया गया तथा इस कार्यदल की रिपोर्ट 02 खंडों में प्रकाशित पुस्तक के रूप में उपलब्ध है जिसका प्रकाशन पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किया है। प्राधिकरण ने कृषि जैवविविधता के संरक्षकों और उनकी सुरक्षा करने वालों को मान्यता प्रदान करने के लिए 2007 में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय अभिज्ञान की और 2009 में पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार का शुभारंभ किया।

उद्देश्य

पादप जीनोम संरक्षण प्राधिकरण पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर की खोज तथा प्रायोजन के आधार पर प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पुरस्कार का उद्देश्य है :

- ऐसे कृषकों, कृषक समुदायों, विशेषकर जनजाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता पहुंचाना और पुरस्कृत करना जो विशेष रूप से कृषि जैव–विविधता वाले विशेष स्थलों या हॉट–स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।

पुरस्कार का परिचय

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार समाचार–पत्रों, सामुदायिक संचार माध्यमों, संस्थाओं को भेजी गई सूचना आदि के प्रत्युत्तर में सीधे संगठनों द्वारा अथवा प्रायोजकों/सुविधकों के माध्यम से कृषकों/कृषक समुदाय से प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ये आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में दिए जा सकते हैं।

- पुरस्कार **प्रतिवर्ष** दिए जाएंगे
- पुरस्कार की राशि **10 लाख रुपये** होगी
- समुदाय का प्रतिनिधित्व पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा उचित रूप से नियुक्त किए गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए।
- यह पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम से बहु–नगरीय चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिया जाएगा जो समुदाय के द्वारा उपयोग के लिए संयुक्त खाते में जमा किया जा सकता है।

पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के लिए पात्रता

- यह पुरस्कार उन सभी भारतीय कृषक समुदायों, विशेषकर जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों के लिए है जो विशेष रूप से कृषि जैव–विविधता वाले विशेष स्थलों/हॉट–स्पॉट्स (सूची अनुबंध के रूप में संलग्न) के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार एवं परिरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।
- आवेदन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित दावों पर प्रमाणित सूचना प्रमाण/विवरण/सबूत सहित प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- आवेदक द्वारा यह भी सूचित किया जाना चाहिए कि सामग्री का उपयोग किसी पादप प्रजनक/संगठन द्वारा बेहतर किस्मों के विकास हेतु किया गया है।
- दावे का सत्यापन किया जाएगा और यदि अधिक सूचना की आवश्यकता होगी तो आवेदक/प्रायोजनकर्ता/सुविधक यह सूचना उपलब्ध कराएगा। तदनुसार पुरस्कार देने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अपेक्षाएं

- आवेदक(कों) के लिए यह आवश्यक है कि वे यह प्रमाणित सूचना प्रस्तुत करें जिससे यह सिद्ध हो सके कि कृषकों के समुदाय ने फसल आनुवंशिक विविधता का संरक्षण किया है।
- इसी प्रकार, यदि बड़े पैमानों पर कृषकों की किस्मों के बीजोत्पादन से संबंधित कोई सूचना मौजूद हो तो उसे भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- पुरस्कार के लिए छांटे गए आवेदक(कों) को क्रियाविधि के अनुसार बीज/रोपण सामग्री की एक निश्चित मात्रा जमा करानी होगी और यह पुरस्कार प्राप्त करने की एक अनिवार्य शर्त है।
- आवेदकों द्वारा पुरस्कार की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। पुरस्कार की राशि का उपयोग प्राधिकरण के बिना किसी प्रतिबंध के समुदाय द्वारा निर्धारित किए गए समुदाय के कल्याण से संबंधित किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। कल्याण संबंधी कार्य में कोई भी नवीन परियोजना/विकास योजना आदि सम्मिलित है, जैसे स्थानीय बीज विकास बैंक का विकास, संरक्षण स्थल पर जल संरक्षण संबंधी क्रियाकलाप, अनाज/बीज गहायी संबंधी सुविधा, कटाई उपरांत प्रसंस्करण सुविधाएं, कृषि स्कूलों की स्थापना, टिकाऊ सामुदायिक क्रियाकलाप आदि।
- पंचायतें, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की संस्थाएं, प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठन, स्वयं सेवी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, कृषकों की एसोसिएशनें आदि नामांकन प्रायोजित कर सकते हैं।

आवेदन–पत्र

- आवेदन पत्र अनुबंध–1 के रूप में दिया गया है। पूर्ण आवेदन–पत्र का एक सैट जो पूरी तरह से भरा हुआ हो अंतिम तिथि से पहले प्राधिकरण में पहुंच जाना चाहिए।
- आवेदन पत्र पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के कार्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों आदि से प्राप्त किया जा सकता है।
- दिशानिर्देश व आवेदन–पत्र प्राधिकरण की वैबसाइट www.plantauthority.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- पूरी तरह भरे गए आवेदन पत्र का एक सैट सहायी या समर्थनकारी सूचना के साथ प्राधिकरण को निम्न पते पर भेजा जाना चाहिए :

रजिस्ट्रार (कृषक अधिकार)
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस–2, 'ए'–ब्लॉक
एनएएससी कॉम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट
नई दिल्ली–110012
दूरभाष : 011–25840777 (कार्या.); 011–25840478 (फैक्स)
ई–मेल : ppfra-agri@nic.in

अनुबंध–1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट

नई दिल्ली–110 012

'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' के लिए आवेदन–पत्र

(विशेषकर कृषि–जैवविविधता के विशेष स्थलों या हॉट–स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में चयन और संरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के आनुवंशिक संसाधनों और उन पौधों के वन्य संबंधियों के संरक्षण में रत् कृषक समुदायों के लिए)

वर्ष .....

1.	आवेदक/समुदाय का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	डाक पता (पत्राचार के लिए) ब्लॉक गांव डाकघर जिला राज्य पिन दूरभाष (यदि कोई हो)	
3.	आवेदक का स्तर (समुदाय/संगठन आधारित कृषक समुदाय)	
4.	वह कृषि जैवविविधता वाला हॉट–स्पॉट्स क्षेत्र जहां का समुदाय/आवेदक है (कृपया सूची देखें)	
5.	संरक्षण स्थल(लों) की स्थिति(यां)	
6.	वह पौधे/फसल(लें) जिनके संरक्षण के प्रयास किए गए हैं	
7.	कितनी किस्में (कृषक किस्में/आर्थिक महत्व के पौधे, वन्य संबंधी और अन्य आनुवंशिक संसाधन भी सम्मिलित हैं) संरक्षित की गई हैं (पौधा/फसल वार विवरण दें)	

8.	आवेदक ने कितने क्षेत्र में संरक्षित किस्मों की रोपाई/खेती की है (विवरण दें)	
9.	क्या सस्यविज्ञानी प्रथाओं/भंडारण तकनीकों जैसी संरक्षण की कोई नई विधि विकसित की गई/अपनाई गई है ? (विवरण दें)	
10.	उन किस्मों से संबंधित सूचना दें (यदि उपलब्ध हों तो) जिनकी अन्य लोगों/संस्थानों के साथ साझेदारी की गई है	
11.	संरक्षित किस्म/ किस्मों में कौन सा विशेष गुण पहचाना गया (किस्म वार विवरण दें)	
12.	उस संगठन का नाम बतायें, यदि कोई हो तो, जिसने संरक्षित किस्मों में किसी उपयोगी गुण की पहचान की है	
13.	क्या किस्म(मों) की जैव–विविधता प्रबंधन समिति द्वारा रखे जा रहे जन–जैवविविधता रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है?	हां/नहीं
14.	क्या कृषक समुदाय को किसी अन्य संगठन द्वारा उसके संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है या मान्यता प्रदान की गई है (विवरण दें)	
15.	किए गए दावे से परिचित एजेंसियों के नाम (सरकारी अथवा स्वयं सेवी संगठन) बताएँ	सरकारी स्वयं सेवी संगठन
16.	पुरस्कार की राशि के उपयोग हेतु प्रस्तावित कार्य योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें (15–20 पंक्तियों में)	

टिप्पणी : 1. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

2. कृषक समुदाय के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है।

3. किसी भी कॉलम के संबंध में विवरण/अधिसूचना देने के लिए अनुबंध के रूप में अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते हैं।

4. पुरस्कार के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुबंध–2

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एनएएससी काम्प्लैक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के निकट

नई दिल्ली–110 012

घोषणा

(उस समुदाय/संगठन/पंजीकृत सोसायटी से अनौपचारिक स्वीकृति के रूप में संलग्न किया जाना है जो उस समाज का प्रतिनिधित्व करती है जिसने संसाधन का संरक्षण किया है, उसमें सुधार किया है उसे परिरक्षित किया है या उसकी साझेदारी की है।)

उस व्यक्ति का नाम व पता/दूरभाष सं./ई–मेल जिससे रजिस्ट्रार, पीपीवी और एफआरए पत्राचार कर सकता है :

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

कृषि जैवविविधता का हॉट–स्पॉट (सूची के अनुसार) : .....

डाक का पता (पत्राचार के लिए) : .....

ब्लॉक : : .....

गांव : : .....

डाकघर : : .....

जिला : .....

राज्य : : .....

पिन : : .....

दूरभाष (यदि कोई हो) : : .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आनुवंशिक सामग्री(यों) का संरक्षण, सुधार, परिरक्षण और उनकी खेती उस आवेदक(कों)/कृषक समुदाय(यों) द्वारा किया गया है जो उपरोक्त गांव(वों) के स्थायी निवासी हैं तथा मैं/हम आवेदक कृषकों/समूह अथवा कृषक समुदाय तथा प्रत्याशी किस्म/किस्मों से भली भांति परिचित हूं/

हैं। आवेदन में दी गई सूचना/जहां तक मेरा विश्वास, मेरे पास उपलब्ध सूचना और ज्ञान का संबंध है, पूरी तरह सही है (विकल्पों में दिए गए वे शब्द जो लागू न हों, कृपया काट दें)।

हस्ताक्षर

(कृषक समुदाय का/के प्रतिनिधि)

राजपत्रित अधिकारी/पंचायत/पंजीकृत संगठन द्वारा सत्यापित

(संबंधित पंचायत जैव–विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/सचिव अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक अथवा संबंधित जिला जनजाति विकास अधिकारी)

(मोहर, तिथि सहित हस्ताक्षर)

Plant Genetic Diversity of Kutch, Gujarat

Rahul Dev, Devi dayal and Ramniwas

Variation is the law of nature. It occours everywhere and every movement. The **variation** taken place at micro level and small period of time, but these become apparent **only over a** large space and a big time gapes. Biological variations initiate at micro level (bio-**molecular** level or gene) and become apparnat at species and ecosystem level.

Biodiversity is the degree of variation among life, it is either among plants or organism or some thing else. It is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems. This can refer to genetic variation, ecosystem variation, or species variation (number of species) within an area, biome, or planet. Biodiversity is not distributed evenly on Earth. It is the richest in the tropics and less fragile ecosystems. Marine biodiversity tends to be highest along coasts in the Western Pacific, where sea surface temperature is highest and in the mid-latitudinal band in all oceans. There are latitudinal gradients in species diversity. Biodiversity generally tends to cluster in hotspots and has been increasing through time but will likely be slow in the future.

Agricultural Biodiversity

Agricultural biodiversity is a broad term that includes all components of biological diversity of relevance to food and agriculture and all components of biological diversity that constitute the agricultural ecosystems, also named agro-ecosystems. The variety and variability of animals, plants and micro-organisms at the genetic species and ecosystem levels are necessary to sustain key functions of the agro-ecosystem and its structure & processes. Agricultural biodiversity is the outcome of the interactions among genetic resources, environment, management systems and practices used by farmers. This is the result of both natural selection and human inventive developed over millennia. Agricultural biodiversity provides not only food and income but also raw materials for clothing, shelter, medicines, breeding new varieties etc. It also performs other services such as maintenance of soil fertility, biota, soil and water conservation that all of these are essential for human survival.

Types of biodiversity:

1. Genetic Diversity: vriations of genes within species
2. Species Diversity: variety of species within region.
3. Ecosystem Diversity: degree of variety of a place at the level of ecosystems.

nature reserves focused on protection of wild races and wild relatives with traditional agricultural practices.

Exsitu conservation is the conservation and maintenance of samples of living organisms outside their natural habitat, in the form of whole plants, seed, pollen, vegetative propagules, tissue or cell cultures.

Refernces:

Paroda RS (1987). The need for life support species: An Indian perspective. Proceedings of CSC/ICAR International workshop on maintenance and evaluation of life supporting in Asia and the pacific region held at NBPGR, New Delhi, April 4-7, pp. 9-13.

S. D. Tanksley and S. R. McCouch. 1997. Seed banks and molecular maps: unlocking genetic potential from the wild Science, 277:1063–1066.

Joshi, P.N; Ekta B.and Jain, B.K.2012. Ecology and conservation of threatened plants in Tapkeshwari Hill ranges in the Kachchh Island, Gujarat, India. *Journal of Threatened Taxa*. 4(2): 2390–2397

Rao BVR (1985). Agro climatology of the Great Indian Dessert. Page 32-50.In Irrigated agriculture in arid areas. S.D. singh (ed.) WAPCOS, New Delhi, p. 708.

Thakar JI (1926). Plants of Kachchh and their utility. *Kutch Darbar*; katchchh-Bhuji. Gujarat.

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity#cite_note-UN-1

http://www.cbd.int/agro/whatis.shtml